

**54<sup>TH</sup>**  
**ANNUAL REPORT**  
**2013-2014**

**५४ वीं**  
**वार्षिक रिपोर्ट**  
**२०१३-२०१४**



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL  
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
महासंघ मर्यादित**

## BOARD OF MANAGEMENT

(As on 31<sup>st</sup> March 2014)

### Chairman

**Shri Sukhdarshan Singh Mrar**  
Chairman, Punjab SCADB

### Vice Chairpersons

**Shri K. Sivadasan Nair, MLA**  
Director, Kerala SCARDB

**Shri Bijay Kumar Singh**  
Chairman, Multi SCLDB

**Shri Dalip Singh Yadav**  
Director, Haryana SCARDB

**Shri Ashok Kumar Faujdar**  
Chairman, Rajasthan RSBVB

### Directors

**Shri K. Veera Reddy**  
President, Andhra Pradesh SCB

**Shri C. Panna**  
Managing Director, Chhattisgarh RSKGVB

**Shri R.S. Dahiya**  
Managing Director, Delhi SCB

**Shri B.H. Jadeja**  
Director, Gujarat SCARDB

**Shri Ulhas B. Phal Dessai**  
Chairman, Goa SCB

**Shri K. Shadakshari, MLA**  
Director, Karnataka SCARDB

**Shri Ajit Kesari**  
Administrator, Madhya Pradesh SCARDB

**Shri W.K. Kyndiah**  
Chairman, Meghalaya CAB

**Shri B. Shahul Ameen**  
Chairman, Tamil Nadu CSARDB

**Shri Jyotilal Dutta**  
President, Tripura CARDB

**Shri Ram Jatan Yadav**  
Managing Director, Uttar Pradesh SGVB

### MANAGING DIRECTOR

**Shri K.K. Ravindran**

## प्रबन्ध समिति

(31 मार्च 2014 को)

### अध्यक्ष

**श्री सुखदर्शन सिंह म्रार**

अध्यक्ष, पंजाब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

### उपाध्यक्ष

**श्री के.शिवदासन नायर, विधायक**

निदेशक, केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री बिजय कुमार सिंह**

अध्यक्ष, बहु राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, (बिहार-झारखण्ड), पटना

**श्री दलीप सिंह यादव**

निदेशक, हरियाना राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री अशोक कुमार फौजदार**

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित

### निदेशक

**श्री के. वीरा रेड्डी**

प्रेसीडेन्ट, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।

**श्री सी. पन्ना**

प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री आर. एस. दहिया**

प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली

**श्री बी. एच. जडेजा**

निदेशक, गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री उल्हास बी. फलदेसाई**

अध्यक्ष, गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

**श्री के. सदाक्षरी, विधायक**

अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री अजीत केसरी**

प्रशासक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री डब्ल्यू. के. किनडिया**

अध्यक्ष, मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित

**श्री बी. शाहुल अमीद**

अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री ज्योतिलाल दत्ता**

प्रेसीडेन्ट, त्रिपुरा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

**श्री राम जतन यादव**

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित

### प्रबन्ध निदेशक

**श्री के के रविन्द्रन**

# **FIFTYFORTH ANNUAL REPORT 2013-14**



## **NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED**

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station  
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426      Fax : (022) 2781 4225  
E-mail : [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com)      Website : [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL  
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION**

**NOTICE**

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2013-14 will be held **at 12.00 Noon on August 8, 2014 at Conference Hall "Chancery I", Hotel Orchid, near domestic Airport, Mumbai,** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 15th July 2013 at Federation's office, Navi Mumbai.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2013-14.
3. Disposal of surplus for the year 2013-14.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2014.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's remarks in Audit Report as on 31.3.2014.
6. Consideration of Annual Report for the year 2013-14.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2014-15 and fixing Audit Fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2015-16.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

**By Order of the Board of Management**

Sd/-

**(K.K. Ravindran)  
Managing Director**

**Place : Navi Mumbai  
Date : 04-07-2014**

## I. ECONOMIC SCENE

India's GDP growth rate remains at below 5% for the second consecutive year in 2013-14. Anticipating a last quarter recovery to nearly 6%, the annual growth rate for 2013-14 is estimated at 4.9%. The annual GDP growth rate of India since 2008-09, the starting year of the present global recession is furnished below.

2008-09	6.8%
2009-10	8%
2010-11	8.6%
2011-12	6.5%
2012-13	4.5%
2013-14	4.9% (estimated)

Finance Minister while presenting Interim Budget 2014-15, cited the global economy growth of 3.1% in 2012 and 3% in 2013-14, impacting strongly on India's growth rate. Finance Minister said that even though growth target could not be achieved, the fiscal deficit could be contained at 4.6% of GDP and current account deficit brought down from US\$ 88 billion to US\$ 45 billion.

In spite of GDP growth rate missing the target the agriculture GDP registered an impressive growth rate of 4.6% during 2013-14, compared to the average of 4% during the last 4 years. Food grain production is estimated to have reached 263 million tonnes from 255.36 million tonnes. Production of Sugarcane, Cotton, Pulses, Oilseeds and quality seeds also touched new records.

Indian economy achieved rapid rate of economic growth after liberalization and openness in trade and investments since 1991. India is the 10th largest country in the world by GDP in nominal terms and 3rd largest by Purchasing Power Parity (PPP). However, on per capita income basis, India ranked 141st by nominal GDP and 130th by PPP. Indian economy faces serious problems, which lag the country far behind developed countries. Making economic growth sustainable which fulfills the needs of the present without compromising the prospects of future generations to meet their needs is a big challenge before the country. India needs to invest much more in education, health care and infrastructure in an environmentally responsible way to make economic growth sustainable. Inclusive growth is another major issue in the

country. A critical problem facing India's economy is the sharp and growing regional variations among different states and territories in terms of poverty, availability of infrastructure and socio economic development. Severe disparity exists among states in terms of income, literacy rate, life expectancy and the living conditions. Economic growth in the last one decade has in fact increased the inequalities rather than reducing it.

India has almost 200 million people in the age group of 15 and 24. With quality education, India should be able to reap rich demographic dividend from this vast pool of human resources. However, even though Govt introduced policies to improve access to education, there is not much improvement in the infrastructure for education, quality of education and standard of teaching. There is an urgent need to bridge the gaps in opportunities for quality education available to children from poor and well to do backgrounds.

Inflation is a major issue that affects the standard of living of poorer sections including fixed income groups. Inflation has not come down despite economic slowdown and reduction in GDP growth rate in the last 5 years. In 2013, inflation was 11% mainly due to supply constraints and rising food prices. Anti inflationary policies of the Govt. and RBI have not only been ineffective, but also self defeating as it failed to address recession resulting in price rise driven by supply constraints.

India's deteriorating balance of payment is a matter of serious concern. India's balance of trade is in deficit with almost all its trade partners. The trade deficit with China alone was US\$ 31.42 billion in 2013, which accounts for almost 2/3rd of the balance of payments deficit of the country. The deficit in balance of payments, which has gone upto 6% of GDP in 2012 has shown some improvement in 2013. However, India's export growth continues to be slow compared to growth in imports. At present, India is world's 19th largest exporter and 10th largest importer. Indian Rupee hit an all time low of 68.80 against US\$ on 29 August 2014 because of its deteriorating current account balance.

Corruption is one of the pervasive problems affecting India's progress. Transparency International ranked India at 95th place among 183 countries in the perceived level of public sector corruption. Right to Information Act 2005, computerization of public services and establishment of Vigilance Commissions by State and Central

Governments have considerably reduced corruption. But corruption continues to retard India's development.

The country needs to address these issues on priority to fulfill its goal of becoming a developed country in the next 15-20 years.

## **II. AGRICULTURE-GENERAL SCENARIO**

The share of agriculture in GDP is progressively declining to less than 14% due to higher growth rate of manufacturing and services sector in the last three decades. However, almost 70% of country's population still lives in rural India and about 60% of them depend almost entirely on agriculture for livelihood. Agricultural growth, therefore, is central to India's efforts to improve the standard of living of rural population and for achieving food security of growing population with rising incomes. India is said to be a global agricultural power house. It ranks first in the production of Milk, Pulses and Spices and in terms of cattle herd and area under Wheat, Rice and Cotton. India is the second largest producer of Rice, Wheat, Cotton, Sugarcane, farmed Fish, Sheep and Goat meat, fruit, vegetables and tea. 37% of India's area under cultivation of 195 million hectare is irrigated and the remaining 63% are rain-fed. The country has forest cover of 65 million hectares.

Indian Agriculture has two major challenges of enhancing productivity and reducing rural poverty. Agricultural Productivity of India, i.e. crop production per Ha., is one of the lowest in the world. Raising agricultural productivity per unit of land is the only way to increase production as virtually all cultivable land is already farmed. Increasing yields, diversification to higher value crops and developing value chain to reduce marketing cost are the measures required to accelerate agricultural growth.

Adopting a socially inclusive strategy that comprises both agriculture as well as non farm employment is needed for reducing poverty. Development should benefit poor, landless, women, scheduled castes and tribes. Majority of India's poor live in rain-fed areas in the Eastern Indo gangetic plains. There should be special programmes to develop these regions at par with other parts of the country. The rate of reduction in rural poverty in the last 15 years has been just 1% per year, which is too insignificant to eradicate poverty in the foreseeable future.

India's agricultural growth has slowed down considerably, after Green Revolution of 70s and agricultural intensification in the 80s. The faster growth of agriculture in the 70s and 80s could reduce rural poverty due to rising rural wages on account of increased demand for rural labour and declining food prices. However, agricultural growth declined in the 90s and 2000s averaging only about 3.5% per annum and Cereal yields slowed down to 1.4% per annum in the 2000s. Rice yields of India are just 1/3rd of China and about half of those in Vietnam and Indonesia. Same is true for most other agricultural commodities. Policy actions and public programmes are required to build a solid foundation for making Indian agriculture more productive, diversified and globally competitive.

Following areas need high priority in public policies and programmes for agriculture.

### **1) Agriculture Research and Extension**

Agriculture Research and Extension in India have declined over time due to chronic under funding of infrastructure and operations. Similarly, public extension services offer little new knowledge to farmers. There is growing disconnect between research and extension. Revamping of Agricultural Research and Extension should be given top priority in the Agricultural Policy.

### **2) Improved water and drainage management**

Agriculture is the largest user of water. There is increasing competition for water for industry and domestic use. When availability of water for irrigation is going down, productivity of irrigation needs to be improved through better on farm management of water and making delivery systems more efficient. The public irrigation and drainage systems need modernization and should integrate participation of farmers and other agencies in managing irrigation water. Unless effectively managed and regulated, it is feared that increasing water shortage which is likely to be worsened due to climate change will intensify water conflicts between states within India as well as with neighbouring countries.

Over pumping of water for agriculture leads to falling ground water levels and also water logging in some areas. These issues need to be addressed.

Similarly, in rain-fed areas agricultural practices should result in soil conservation by controlling soil erosion and increasing water absorption and raising productivity

through higher yields and crop diversification. Watershed programmes allied with initiatives from Agriculture Research and Extension are required for promoting new varieties of crops and improved farm practices.

### **3) Diversification**

Diversification to higher value commodities and building competitive value chains from producers to urban centres and export markets are significant for higher agricultural GDP, particularly in rain-fed areas, where poverty is high. Government should remove constraints to marketing, transport, exports and processing. Dairy, a high growth commodity contributing over a quarter of agricultural GDP and is an important source of income for 70% of India's rural families, mostly those who are poor and headed by women. Growth in milk production has been impressive at 4% and future domestic demand for milk is expected to grow at least by 5% per year. Milk production however, is constrained by the poor genetic quality of cows, inadequate nutrients, poor veterinary care and other factors. A targeted programme is required to tackle these constraints to boost dairy production.

### **4) Easing of trade restriction**

Because of restrictive policies of internal and external trade, the cost of transportation and marketing of agricultural commodities has become high. Though liberalization has taken place to a certain extent further easing of these restrictions is required to enable diversification and minimize consumer prices. Moreover, at present, Govt's investment expenditure in agriculture is not significant. Public investment should be increased by rationalising subsidies which is now four times larger than investment budget of the Govt.

### **5) Empowering rural communities**

Along with agricultural growth rural communities should be made self-reliant through programmes promoting formation of Self Help Groups, increasing community savings, and promoting local initiatives to increase income and employment. Self Help Groups are particularly effective in reaching women and poor families.

### III. RURAL CREDIT SCENARIO

The flow of credit to agriculture and rural sectors is reported to have registered year on year average growth rate of more than 20% during the last one decade, as given in the following table :

<b>Year</b>	<b>Target (₹ crs)</b>	<b>Achievement (₹ crs)</b>
2004-05	105000	125309
2005-06	141000	180486
2006-07	175000	229400
2007-08	225000	254658
2008-09	280000	287149
2009-10	325000	384514
2010-11	375000	468291
2011-12	475000	510029
2012-13	575000	607375
2013-14	700000	735000 (estimate)

In 2013-14, 75% of the total credit to agriculture was contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives with a share of 15% and RRBs accounting for 10%. The reported growth in credit however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. Rural areas also witness the trend of commercial bank branches being closed down in large numbers. Under these circumstances, one can genuinely doubt the correctness of figures reported as credit flow to agriculture. In fact, there is no mechanism at any level including RBI/NABARD/Department of Financial Services (DFS) to check the authenticity of figures reported by banks as agricultural lending.

In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial

Banks to farmers should be much less than what is reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

Another major issue in agricultural credit is the steep decrease in the proportion of investment credit in the total credit flow since 90s. This has considerably slowed down capital formation in agriculture. The share of public investments in agriculture being only 25%, bulk of investments in this sector takes place through private initiative facilitated mostly through bank loan. Average rate of gross capital formation in agriculture in the last 5 years comes to only 15%, which goes down to half of that when adjusted to inflation. The capital formation in agriculture in real terms does not even fully cover the replacement needs of worn-out assets, which leaves net capital formation negative. Gross capital formation needs to be stepped up by an additional 10% to avoid negative net capital formation.

However, the policies of Govt continue to be highly unfavourable for improving this situation. In the first place, Govt continues to ignore the potential role of Long Term Cooperative Structure, which is the only specialized agency for investment credit to farmers. The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt should implement the revival package for LTCCS recommended by VTF II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 10% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 13-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments. Govt should extend its scheme for subsidizing interest of agriculture loans to investment credit also.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level. Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, which benefitted only delinquent borrowers have further vitiated the climate of loan recovery. Govt support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt should also refrain from actions that vitiated recovery climate and should not interfere in the recovery process of lending institutions.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.

#### **IV. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW**

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem debts on land. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of a large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended

reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also assigned a developmental role to the Land Mortgage Banks by diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the II Five Year Plan which came to be known as State Cooperative Land Development Banks and in the 90s as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

The Long Term Cooperative Credit Structure comprises of SCARDBs in 19 States operating either through their own branches at ground level or through Primary Agricultural and Rural Development Banks affiliated to the state level Apex. In Andhra Pradesh, the SCARDB was merged with Andhra Pradesh State Cooperative Bank in 1995 to form an integrated structure. In most of the states formed after 1960, State Cooperative Banks also perform investment credit operations in agriculture and rural sectors in the absence of separate structure for Long Term credit.

### **Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)**

The LTCCS is designed as non resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). They are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance

Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations. The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance had to suspend lending operations for want of resources.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through revamping process, started in 1990s for the Commercial banks and since 2006 for STCCS under the package recommended by VTF, the revival package suggested for LTCCS by VTF II is yet to be implemented.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be revived to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The

revitalization of the structure, involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

## **V. FEDERATION DURING 2013-14**

A significant event in the history of agriculture and rural development banking sector has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has played an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Other activities of the Federation include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of Plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since the last 54 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in regard to identification and formulation of new developmental projects as well as evaluation of completed projects.

Thrust areas of Federation's activities during 2013-14 were (i) lobbying with the Government for implementing revival package and reforms, (ii) guiding SCARDBs in reform initiatives, and (iii) guidance and support to member banks for resource mobilization, recovery management and business expansion and diversification.

### **Lobbying**

Demand for revival package continues to be the main focus in Federation's lobbying campaign during the year. The revival package for Long Term Cooperative Credit Structure was recommended by Vaidyanathan Task Force in 2006. Govt of India

announced its implementation in the Union Budget 2008-09 and the Union Cabinet approved revival scheme in February 2009. However, the expectations of the structure for revival support and the Government were dampened by a series of hurdles put up by Ministry of Finance in implementing the package approved by the Cabinet. Firstly, the Ministry resorted to an uncalled move of appointing another Task Force to review the scheme approved by the Cabinet. Even after the new Task Force endorsed the package and recommended its implementation in February 2010, the Ministry continued its delaying tactics by proposing merger of LTCCS with STCCS which was neither proposed by VTF II nor figured in the scheme approved by the Cabinet and later on taking the stand that the revival of the structure is not feasible in view of its insignificant share in the credit flow to agriculture. After denying opportunity to this structure to maintain its market share which was about 20% in the 90s and delaying the package for more than 8 years, there is no justification for denying revival support on the ground of insignificant market share. The statistics show the declining trend in the rate of agricultural productivity on account of drastic fall in capital formation in the sector since 90s, the market share of ARDBs has been declining due to losses suffered on account of policies of Central and State Governments, such as regulated interest rates, large scale lending under Govt sponsored schemes which resulted in high overdues, implementation of Debt Waiver Scheme of Central Govt in 1990 without getting full reimbursement of the loans written off and losses under Waiver Scheme of various State Govts in the 90s and after. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlays has the potential of expanding its annual lending atleast by 5 times in the short run from the present level of about ₹5000 crs, if revived.

At the initiative of the Federation, 16 Parliamentarians from both Houses, who are associated with the LTCCS in various states, had a Meeting on 25 April 2013 in New Delhi to discuss issues in the working of ARDBs. The Meeting was chaired by Prof. P.J. Kurien, Dy. Chairman, Rajya Sabha and was also attended by the office bearers of the Federation and representatives of SCARDBs. The Parliamentarians were unanimous in their view that Govt should not delay any further, implementation of revival package for LTCCS which was already cleared by Cabinet in February 2009. MPs who spoke on this occasion highlighted the relevance and usefulness of ARDBs in providing credit for undertaking developmental activities in agriculture and rural

sector. They were also critical of some of the policies of NABARD, especially charging higher rate of interest from banks which are financially weak. The Parliamentarians, after the above meeting submitted a joint Memorandum to Prime Minister and Finance Minister, appealing for early implementation of revival package and extending the interest subvention scheme for crop loans to farmers who take crop loans from ARDBs also. It was also decided that these issues would be taken up in the Parliament.

A delegation from the Federation under the Leadership of Prof. P.J. Kurien, Dy. Chairman, Rajya Sabha, who chaired the Meeting of Parliamentarians associated with LTCCS earlier, met Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh on 30th August 2013 to represent the issues in the Long Term Cooperative Credit Structure. The delegation also included Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, Shri K.S. Bhatol, Vice Chairman, Shri Dalip Singh Yadav, Director and Shri K.K. Ravindran, Managing Director. The delegation apprised following issues in the LTCCS to the Prime Minister.

- (i) Extraordinary delay in implementing the revival package for LTCCS recommended by VTF II which was announced in the Union Budget 2008-09 and approved in the Union Cabinet in February 2009.
- (ii) Need to bring down high interest rate of 14% or more per annum on Long term agricultural loans taken by farmers by extending the interest subvention scheme of Govt of India for crop loans to investment credit also.
- (iii) To extend crop loan interest subvention scheme of Govt of India to farmers who avail crop loans from agriculture and rural development banks also.

Prime Minister gave a patient and sympathetic hearing to the delegation and promised to refer the matter to Ministry of Finance for required action.

The Board of the Federation in its Meeting on 22nd December 2013 in Patna, resolved to reconstitute the Parliamentarians Forum immediately after General Elections due in April-May 2014 for intensifying lobbying efforts for revival package and resolving other pending issues with the Govt.

## Reform Initiatives

VTF II observed that loan business confining to a single product and lack of own resources as the main weakness of the structure. Task Force referred to the question of bringing ARDBs within the purview of BR Act 1949 as banking entities and found merit in the argument that it would be the most effective way to address these weaknesses. The Task Force, however, felt that it would be inappropriate for them to make suggestions, which impinge on the regulator's prerogative and observed that if on date or in the future any entity in the structure fulfills the conditions necessary for obtaining a banking license, the banking regulator may consider it on merits. The Task Force however, made the following recommendations to augment resource availability to the structure apart from refinance of NABARD.

- i) SCARDBs should be given the freedom and flexibility to tap a wider range of market sources including term deposits from public under a suitable regulatory regime and also wider freedom to determine their lending strategy and portfolio composition.
- ii) ARDBs like, PACS should also take deposits from members with depositors being given full voting rights.

Even though recapitalization part of the revival package is not yet cleared for implementation, there should not be hurdles in implementing the recommendations of VTF relating to reforms in the design and operations of ARDBs, especially since the Govt already accorded in principle approval of its recommendation. NABARD, which is the nodal agency to implement the recommendations of Task Force need to take steps to broaden the scope of the scheme for mobilizing public deposits by SCARDBs based on these recommendations, irrespective of giving recapitalization support to the structure by the Govt.

Similarly, as suggested by Vaidyanathan Task Force II, RBI should finalise and announce the conditions to be fulfilled by these institutions to obtain banking license.

The Federation started a drive for reforms facilitated through internal initiatives by the structure with thrust on the following areas.

- (i) Resource mobilization.

- (ii) Introducing loan products to meet the short term/medium term credit needs of members for agricultural and non agricultural purposes.
- (iii) Reforming loan repayment and recovery systems.

Constitution of Core Groups for Reform Initiatives (CGRI) in SCARDBs was an important measure as part of this drive. The guidelines for CGRI were issued on 20th December 2012. Most of the SCARDBs have constituted CGRI during 2013-14 under the chairmanship of Chairman of the SCARDB with the MD of the Bank as Convenor. Two Directors of the Bank, 2 outside experts with expertise in banking and finance and executives of SCARDBs in-charge of functional departments are other members. CEO of the Federation is a special invitee to the quarterly meetings of CGRI. Federation issued guidelines on agenda for each round of meetings. The CGRI had completed three rounds of quarterly meetings in most of the States by March 2014. These meetings mainly considered measures that can be taken by SCARDBs in areas where permissions of the Govt or NABARD are not required. Following are the important action points decided in CGRI meetings.

### **Resource mobilization**

- Mobilising deposits from members through deposit schemes approved by the Board.
- Introducing mandatory thrift deposit accounts for all borrowing members. Broadening avenues for institutional borrowings to commercial banks, short term credit structure and NCDC.
- Approaching State Govts for extending guarantee to NCDC and commercial banks in addition to NABARD.

### **Loan recovery**

- Revamping loan repayment system by fixing monthly/quarterly due dates instead of yearly instalments.
- Introducing graduated instalments in the place of equated/equal instalments to facilitate repaying major portion of the loan during peak performing period of assets financed and to fix lower instalments in later years when yields slow down and cost of maintenance and repairs increases.

- Strengthening pre due date follow-up by sending timely demand notices, due date reminders through SMS, telephone calls etc.
- Strengthening post recovery follow-up as per legal recovery procedure by outsourcing legal firms in the panel of legal advisors of the bank.
- To introduce short term loan products such as cash credit to prompt repayers of investment credit, jewel loans, traders loans, employees loans etc.
- Introduction of short term loans and thrift deposit accounts to increase the frequency of contact with the borrower which impacts favourably on loan recovery.

Imbalance between the loans outstanding at the level of apex and primaries is a common problem faced by federal SCARDBs. Imbalance makes the balance sheet and DCB of the apex unrealistic as some of their receivables from PCARDBs are not backed by assets at the primary level. Imbalance once occurred is bound to increase as some portion of principal recovery by the primary are used to pay interest to the apex resulting in reduction in its outstanding loans without corresponding reduction in its outstanding borrowings from the apex. Unless tackled through special efforts, this imbalance can never be removed and the primary cannot be saved from collapse. One of the recommendations of the CGRI in this context is to block excess loans outstanding as well as excess of demand of the apex with the primary into a separate receivable account to be cleared over a period of time on mutually agreed terms from the profits of the primary as well as apex in the future.

Lack of flexibility in the terms of repayment necessitates classification of large number of loan accounts as NPAs, in spite of borrower making regular repayment equal to or more than the current demand. Failure to pay dues in any single year during the long tenure of 10-15 years due to circumstances beyond control like a bad crop year or need to incur unforeseen expenditure in the family makes a loan account NPA throughout its tenure in spite of regular repayment of current demand in all other times. It has been decided to undertake case to case review of loan accounts at ultimate borrower level for rescheduling unpaid balances in such accounts over the remaining period of loan and by extending the period of loan if required in deserving cases. SCARDBs are also advised to pursue uniform policy with regard to legal

recovery measures in willful default. As per Federation's guidelines, failure to pay even a part of the monthly/quarterly instalments continuously for a period of two years is being treated as willful default. Legal recovery measures should be initiated in all such cases. Most of the banks are unable to take timely legal action because of shortage of staff at the primary/branch level. In such cases it is decided to outsource the services of legal advisors of PCARDBs/branches for completing the paper work including issuing various notices as per the procedure prescribed for sale of property. SCARDBs have been advised to fix remuneration for legal advisors for this work as below.

(a) For outstanding amount upto ₹ 1 lakh in the loan account	-	₹ 1000
(b) For outstanding amount more than ₹ 1 lakh in the loan account	-	₹ 2000

It was also decided to give statewide publicity to auction proceedings for sale of security property through the network of PCARDBs and offices/branches of SCARDB for identifying and arranging interested persons from other areas for participating in auction and also offering such persons loan for the purchase of land if required. SCARDBs have also initiated following steps to improve their profitability.

- (i) One time revision of interest on loans based on actual cost of refinance.
- (ii) Collecting interest on defaulted interest at the same rate as done by NABARD in the case of default by SCARDBs.

SCARDBs also have been advised to undertake non fund based businesses of selling insurance products on referral basis and taking license for e-stamping of documents. ARDBs in Karnataka have already entered into these areas with remarkable success. Banks have also initiated action to prepare business development plan and update the manuals on loan policies, recovery policies, accounting policies etc as decided in the second round of CGRI.

### **Engagement with State Govts**

While ARDBs in most of the States could improve their working through self-driven reforms, their competitiveness and sustainable growth in the market depends on legal and policy reforms being carried out by State Govts. The Conference of

Principal Secretaries (Coopn) organized by the Federation in September 2012 was a significant initiative in this direction. The Conference discussed the issues concerning ARDBs and also identified areas of legal and policy reforms required in various States. It was seen that ARDB Acts/provisions in the State Cooperative Societies Act relating to ARDBs will need amendments in some States for advancing loans for shorter duration as well as for non agricultural purposes, to give loan on security other than land including personal surety, to facilitate transmission of loan documents executed between the loanee and ARDB to the sub-registry office directly by the bank etc. Most of these Acts also need amendments to incorporate the provisions in the 97th Constitutional Amendment relating to cooperatives. Some of the State Govts also need to take policy decisions with regard to waiving/keeping at nominal rate the guarantee fee, waiving stamp duty and registration charges for registering the loan documents, issuing block guarantee instead of annual guarantee etc.

Policies of State Govt relating to recovery of agricultural loans is another area significantly impacting the working of ARDBs. In most of the States, SCARDBs receive active support of State Govt in loan recovery through schemes for interest subvention for prompt repayment, relief schemes involving waiver/one time settlement in respect of farmers in distress, review of loan recovery position of ARDBs by district/state level offices of the govt and involving govt machinery in the recovery drive etc.

However, ARDBs also experience interference of State Govts in the recovery process through directives to do away with coercive loan recovery measures. This has resulted in high rate of willful default in some States. In fact, ARDBs resort to sale of land given as security for the loan only in cases of willful default. Banks need unrestrained freedom in pursuing legal recovery steps against willful defaulters to maintain a healthy recovery climate. Recovery performance of ARDBs is the prime factor affecting financial health and rating as well as eligibility to get funds from NABARD. The Long Term Cooperative Credit Structure has already become defunct in the State of Maharashtra and Madhya Pradesh, solely because of the restrictions imposed on them by State Govts to pursue legal measures to recover loans. The Federation is taking up with State Govts to evolve agricultural credit policy with provisions to refrain from announcements vitiating the climate of loan recovery. This

is also one of the thrust areas for deliberations in the Conference of Principal Secretaries (Coopn).

The Board in its 142nd meeting on 20 March 2014 decided to convene the second Conference of Principal Secretaries (Coopn) in the month of November/December 2014 to review the progress of action on the recommendations of the first Conference and to deliberate on further measures to speed up reforms in the LTCCS.

### **Engagement with NABARD**

NABARD and ARDBs traditionally share a special relationship. NABARD apart from meeting the resource needs of LTCCS was also giving institutional strengthening and development support to the structure in a substantial way. Assistance to JLTCs, support from CDF for various purposes including computerisation, assistance from R&D Fund for setting up technical cells for farm and non-farm projects etc were some of such developmental support extended by NABARD to ARDBs.

As regards the terms of refinance also, taking into account the fact that ARDBs are non resource based institutions, NABARD continued the policies of Agricultural Refinance Development Corporation in giving a special treatment to the LTCCS under which ARDBs were allowed to fix their loan period two years less than the period of repayment of refinance. This facility helped ARDBs to maintain comfortable liquidity in spite of some unavoidable default in loans given to farmers. Similarly, 100% refinance was given for non farm sector and thrust areas in farm sector with arrangement for drawing 5-10% deficit in refinance for other purposes from Central and State Govts. NABARD also maintained a policy of having frequent interaction with Federation and SCARDBs through the forum of half yearly CEOs conferences and deputing its senior executives to attend the quarterly board meetings of the Federation as well as seminars and conferences for member banks organized by the Federation.

Unfortunately, there was a systematic reversal of these policies in the last couple of years with disastrous impact on the working of institutions in the structure as well as availability of credit to about 135 lakh rural households who are members of these institutions. Since 2011-12 the scale of refinance has been reduced from about 97% to 90%. The arrangement to facilitate State and Central Govt contribution towards shortfall in refinance was also stopped with this. The facility of fixing a lower

repayment period for loans than the repayment period of refinance has been withdrawn. Under the new policies introduced since August 2011 only two SCARDBs which were classified as low risk were given assured refinance from NABARD. Other SCARDBs in spite of giving govt guarantee and fulfilling other conditions of refinance were either not given refinance or given only a small portion of the loan issued by them during the year and that too after a long waiting period. Moreover, weak banks classified as moderate or high risk are required to pay additional interest of 1-2 % p.a. by way of risk cost in spite of refinance covered by govt guarantee. NABARD has also completely stopped assistance to ARDBs for computerization and other purposes. Assistance to JLTCs has also been completely stopped for sometime during 2013-14. It is shocking that the policies and schemes evolved and fine tuned on the basis of reports of various committees and extensive consultations at various levels were struck down based on personal perceptions. There were no consultations or even advance notice before implementing any of the above changes in the policies. The net result of reforms introduced by NABARD in the last two years is making all these institutions further weak.

Fortunately, there is a change in the approach of NABARD to SCARDBs towards the end of 2013-14 with the change of guard in NABARD at the level of Chairman even though hostile policies introduced two years back are yet to be reversed. As a result of these changes in its policies, the number of SCARDBs drawing refinance from NABARD increased from 6 in 2012-13 to 9 in 2013-14. There was also a significant increase in the total amount of refinance disbursed to ARDBs during 2013-14 compared to the previous year. The Federation has been taking up the following issues and expecting a favourable decision by NABARD on them without further delay.

### **(1) Scale of refinance**

- By reducing the scale of refinance to 90% of loans issued and stopping the arrangement for govt contribution, SCARDBs are required to search for other sources to meet the balance 10%.
- In most cases, loans are issued out of high cost interim finance from State Cooperative Banks/Commercial Banks. When only 90% refinance is given, such borrowings cannot be fully cleared which accumulates to substantial

amount leading to losses and strain on liquidity problems, even for banks which are financially sound at present.

- NABARD needs to address this issue by restoring the rate of refinance as prevailing before 2011-12 and restoring the practice of sending copies of refinance sanction letters to Central and State Govts to facilitate govts to contribute the shortfall.

## **(2) Withdrawal of 2 year cushion in repaying refinance**

- NABARD in 2011-12 started fixing the period of refinance same as the period of loan. This leads to a situation of SCARDBs requiring 100% repayment from their borrowers in order to meet repayment commitments to NABARD. Earlier, banks were allowed to fix loan period 2 years less than the repayment period of refinance. This 2 year cushion enabled banks to meet NABARD's demand without difficulty in spite of overdues at their level.
- One of the recent changes in the refinance policy of NABARD was to link refinance eligibility of SCARDBs with risk rating based on their audit report for the previous year. There is a delay of 4 to 6 months in getting the audit report by chartered accountants in NABARD's panel. Consequently, the position regarding refinance eligibility is intimated only in the 3rd or 4th quarter after risk assessment and finalization of revival action plan in the case of SCARDBs in medium and high risk categories with the approval of State Govt.
- It is necessary that Banks should know in the beginning of the year refinance allocation by NABARD for regulating their lending programme on that basis. Under the new policy regime, they are told about their ineligibility for refinance or reduced allocation compared to the previous year only towards the end of the year. NABARD should avoid this by giving refinance allocation for a particular year in the beginning of the year itself based on latest audit report available at the beginning of the year.

## **(3) Interest rate on refinance**

- As already mentioned, SCARDBs in the medium and high risk categories are required to pay additional interest of 1 to 2% p.a. which makes them further

weak. Since refinance is covered by govt guarantee, NABARD should consider charging uniform interest rate on refinance irrespective of the category of banks.

#### **(4) CDF assistance**

- NABARD has stopped all kinds of assistance to SCARDBs from CDF. Assistance for computerization was stopped on the background of Vaidyanathan Committee report recommending a revival package for LTCCS which contained a component for computerization also. Because of this, banks are deprived of any assistance either from Govt or from CDF. In view of the uncertainty in implementing the revival package, NABARD should consider restoring CDF assistance for computerization. The support for various kinds of infrastructure development extended from CDF in the past may also be revived.

#### **Felicitation to Dr. Harsh Kumar Bhanwala newly appointed Chairman, NABARD**

Federation felicitated Dr. Harsh Kumar Bhanwala, who took over as Chairman, NABARD in December 2013, in a meeting attended by representatives of the Federation and member banks from various States held on 22nd January 2014 at Federation's office.

In the absence of Shri S.S. Mrar, Chairman of the Federation, who could not reach Mumbai due to emergency in the family, Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman delivered the felicitation and introductory remarks. Mr. Nair said that Dr. Harsh with his diverse experience in the field of finance, development and cooperation and his innovative thinking and practical approach to issues is the most appropriate choice for the position to lead NABARD. Mr. Nair also recollected his active and fruitful association with the Federation during his tenure as Managing Director of Delhi State Cooperative bank, in the early part of his career. Mr. Nair appealed to Chairman to consider appropriate steps to address the serious issues concerning NABARD's refinance policies with regard to ARDBs and to revive CDF assistance including support to JLTCs. He also suggested Chairman to consider convening a meeting of representatives of banks to discuss bank specific issues relating to refinance.

Dr. Harsh in his address thanked for the reception and expressed his happiness to renew his association with Federation and its member banks after a long gap. He said that he is open to the suggestions of Federation and member banks regarding changes in the refinance policies of NABARD. At the same time, NABARD as a lender needs to be cautious about the health of client institutions. He said that it was in this context that the risk rating of SCARDBs was introduced. When everything else around changes, cooperatives need to keep pace with those changes. Technology plays a major role in this. Cooperatives need to adopt technology like other banks. Reforms are required in the delivery system. Banks need to focus on recovery. The present level of recovery is not sustainable. NABARD will support banks in their efforts to improve working especially in improving recovery and streamlining the delivery mechanism. Priority will also be given to refinance support based on concrete plans and improvement in performance. He also said that he will meet the representatives of the banks for detailed deliberations as suggested by the Federation.

MD, Federation apprised Chairman NABARD the recent initiative of the Federation to constitute Core Group for Reform Initiatives in SCARDBs to bring reforms especially in the areas of recovery system, resource mobilization and business diversification as suggested by Vaidyanathan Task Force II which can be decided and implemented at the level of SCARDBs without seeking permission from govt or other agencies. He said that there is marked improvement in all performance parameters in SCARDBs where CGRI is active. Chairman NABARD appreciated the initiative and promised NABARD's support in strengthening this arrangement.

It was also informed in the meeting that NABARD will continue its assistance to JLTCs which obtains accreditation of BIRD, Lucknow for which arrangements are now in place.

## **VI. ACTIVITIES UNDERTAKEN BY PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL**

Federation constituted Planning, Research and Development (PRD) Cell in 1973 to undertake research and promotional services to member banks.

### **Publication of Land Bank Journal**

Publication of Land Bank Journal is an important work of the PRD Cell. Five issues of Land Bank Journal i.e. December 2012, March 2013, June 2013, September 2013 & December 2013 have been published and circulated during the year and March 2014 is under compilation.

### **Annual Statistical Bulletin**

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Statistical Bulletin for the year 2010-11 was published during the year. The Bulletin for 2011-12 is under print and Bulletin for 2012-13 is under compilation. Federation is trying to make this important publication upto date by streamlining the reporting system relating to ground level data on operations of ARDBs.

### **Monthly Progress Report of ARDBs**

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loan disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report.

10 consolidated monthly reports from April 2013 to January 2014 were brought out during the year 2013-14. February 2014 reports are under compilation.

### **Core Group for Reform Initiatives (CGRI)**

PRD Cell is also involved in the working of CGRI in member banks by issuing general guidelines for holding meetings, monitoring the regularity of meetings and follow-up actions on its decisions. The Cell compiles and reports to the Board important recommendations of CGRI in various States and issues general guidelines based on the same.

### **Sub-Group on Reforms**

Federation constituted National level Sub Group on Reforms with Chairmen and Chief Executives of member banks who have constituted the CGRI. A Meeting of this Sub Group was held on 25 May 2013. This meeting finalized the agenda for Reform Initiatives at the level of SCARDBs.

## **Documentation and Sharing of Best Practices**

Federation in the previous year initiated documenting and sharing of success stories in the LTCCS as part of International Year of Cooperatives. Federation focussed on documenting best practices in loan recovery, during 2013-14.

PRD Cell organized a Seminar on Sharing of Best Practices in Loan Recovery on 20th March 2014 in New Delhi in conjunction with the 142nd Board Meeting of the Federation. Dr. Chandra Pal Singh, President, NCUI was the Chief Guest at the inaugural session of the Seminar which was chaired by Shri S.S. Mrar, Chairman, NCARDBF. Dr. Dinesh, Chief Executive, NCUI delivered the key note address. The Seminar was attended by Chairmen, Chief Executives and Senior Executives of member banks. Member Banks made presentations on Best Practices in Loan Recovery. The Seminar was useful in sharing best practices and strategies in loan recovery followed by member banks in various States.

## **VII. AFFILIATIONS**

### **(i) At National level**

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

#### **National Cooperative Union of India (NCUI)**

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, who was Chairman of the Federation till September 2013 and presently Vice Chairman is also the Vice Chairman of NCUI.

Federation is also affiliated to the following other national level organizations/associations.

#### **Cooperative Bank of India (COBI)**

Federation is one of the founder members of COBI. The Chairman of the Federation is also one of the Directors of COBI.

#### **National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)**

MD, Federation is a member in its General Body and Board.

### **National Cooperative Development Corporation (NCDC)**

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4) (XVII) of NCDC Act 1962.

Federation is also holding membership with the following organizations.

- 1) Indian Merchants Chamber (IMC)
- 2) Indian Banks' Association (IBA)
- 3) Indian Society for Studies in Cooperation
- 4) Indian Tourism Cooperative Ltd (ITC)

### **(ii) At International level**

#### **International Cooperative Alliance (ICA)**

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, as a representative of the Federation, continues to be the Chairman of Regional Cooperative Banking Association under ICA-AP. The representatives of the Federation participated in the following programmes of ICA during the year.

- 1) ICA Regional Workshop on "Enhancing the Role of Women in Cooperative Business" during 4-6 June, 2013 in Ulaanbaatar, Mongolia-Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.
- 2) Regional Seminar and Meeting of ICA-AP Committee on HRD during 26-28 November 2013 in Colombo, Sri Lanka Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.

#### **Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)**

Federation is a founder member of APRACA. Shri K.K. Ravindran, MD, Federation is a member of its General Body since 1996. Representatives of the Federation attended the following programmes/meetings of APRACA during the year.

- 1) World Congress on Agricultural and Rural Finance & study visit during 25th September-3rd October 2013 in Paris-Participated by;

1. Shri K.K. Ravindran, MD, NCARDBF
  2. Shri Solamen Alex, President, Kerala SCARDB.
  3. Shri George Kuriakose, General Manager, Kerala SCARDB.
  4. Shri Kanubhai M. Patel, Chairman, Gujarat SCARDB.
  5. Shri I.B. Chaudhari, Director, Gujarat SCARDB.
  6. Shri V.M. Chaudhari, Managing Director, Gujarat SCARDB.
- 2) Regional Training Course on Agricultural Value Chain Finance during 19-22nd November 2013 in Bangkok, Thailand Participated by Ms. Rajashree R., Director, NCARDBF.

### **International Raiffeisen Union (IRU)**

Federation is a member of IRU. Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

### **Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)**

MD, Federation is a member of its General Council. Federation regularly nominates officials and non-officials from member banks to the programmes of CICTAB.

Participation in CICTAB programmes during 2013-14 was as below;

1. Exposure Visit Programme on Cooperative Business Model in Sri Lanka during 26-29 November 2013 at Colombo, Sri Lanka - Participated by Shri K.A. Chandran, Director, Shri A. Mohammed Basheer, Director and Shri George Kuriakose, Managing Director, Kerala SCARDB.
2. Programme on Skill Development of Trainers in the area of Promotion & Financing of SHGs & JLGs for Financial Inclusion of Rural Poor (Focused on Trainers Training) at BIRD, Lucknow during 18-21st March 2014 - Participated by Shri Yagya Datt Soni, Regional Manager, Jodhpur, Rajasthan SCARDB.

### **BRICS Cooperatives Forum**

Federation participated in the IIIrd BRICS Cooperatives Conference during 25 - 29th October 2013 in Cape Town, South Africa as part of the delegation from Govt of India.

## VIII. MANAGEMENT OF THE FEDERATION

### General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd., (Bihar - Jharkhand).
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.

14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Co-operative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

### **Board of Management**

As per Byelaw No.20(iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The five year term of Board of Management in office in the beginning of the year expired in September 2013. The new Board was elected in the General Body held on 21st September 2013 in Mumbai. Following are the members of the newly elected Board which took charge from 21st September 2013.

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Board Member</b>	<b>Member Bank representing</b>
1.	<b>Shri Sukhdarshan Singh Mrar</b> Chairman (since 21.09.2013)	Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
2.	<b>Shri K. Sivadasan Nair, MLA</b> Vice Chairman since 21.09.2013 and Chairman till 21.09.2013	Kerala State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
3.	<b>Shri Bijay Kumar Singh</b> Vice Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Board Member</b>	<b>Member Bank representing</b>
4.	<b>Shri Dalip Singh Yadav</b> Vice Chairman (since 20.3.2014) (Shri Satbir Sharma represented the Bank in the Board till 20.3.2014)	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
5.	<b>Shri Ashok Kumar Faujdar</b> Vice Chairman	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
6.	<b>Shri Kishan Singh Bhatol,</b> Vice Chairman (till 10.1.2014)  <b>Shri Ajit Kesari,</b> Principal Secretary (Coopn) & Administrator since 10.1.2014	Madhya Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
7.	<b>Shri K. Veera Reddy</b>	Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.
8.	<b>Shri C. Panna</b>	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
9.	<b>Shri R.S. Dahiya</b> (Dr. Bijender Singh, President represented the Bank in the Board till 21.9.2013.)	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
10.	<b>Shri B.H. Jadeja</b> (Shri I.B. Chaudhari, Director of the Bank represented the Bank in the Board till 21.9.2013)	Gujarat State Co-op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
11.	<b>Shri Ulhas B. Phal Dessai</b>	Goa State Cooperative Bank Ltd.
12.	<b>Shri K. Shadakshari, MLA</b> (Shri A.R. Shivaram, President of the Bank represented the Bank in the Board till 21.9.2013.)	Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
13.	<b>Shri W.K. Kyndiah</b>	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
14.	<b>Shri B. Shahul Ameen</b>	Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
15.	<b>Shri Jyotilal Dutta</b>	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Board Member</b>	<b>Member Bank representing</b>
16.	<b>Shri Ram Jatan Yadav</b>	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
17.	<b>Shri K.K. Ravindran</b>	Ex-officio

Note: Out of 20 elected members in the Board as per byelaws, 16 elected members were in position as on 31.3.2014. Vacant positions being filled up by election/co-option of delegates of non represented member banks which have no outstanding dues.

### **Executive Committee**

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board. Accordingly, Executive Committee was also reconstituted in September 2013, after the election of new Board, with the following members.

- (1) Shri Sukhdharshan Singh Mrar, Chairman  
(Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.)
- (2) Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice Chairman  
(Kerala State Coop. Agril & Rural Development Bank Ltd.)
- (3) Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman  
(Multi State Land Dev. Bank Ltd. Bihar-Jharkhand)
- (4) Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman  
(Haryana State Cooperative Agriculture & Development Bank Ltd.)
- (5) Shri Ashok Kumar Faujdar, Vice Chairman  
(Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.)  
  
(Elected as Vice Chairman on 20.3.2014 in the place of Shri K.S. Bhatol, Ex.Vice Chairman)
- (6) Shri K. Veera Reddy  
(Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.)
- (7) Shri K. Shadakshari, MLA  
(Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)

- (8) Shri B. Shahul Ameen  
(Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (9) Shri W.K. Kyndiah  
(Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)
- (10) Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF

### **Administrative Committee**

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee shall consist of the Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. The Administrative Committee of the Federation consists of the following members.

1. Shri S.S. Mrar, Chairman
2. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice Chairman
3. Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman
4. Shri Ashok Kumar Faujdar, Vice Chairman  
(Since 20.3.2014, in the place of Shri K.S. Bhatol, Ex. Vice Chairman)
5. Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman
6. Shri K.K. Ravindran, Managing Director

### **Meeting of General Body, Special General Body, Board and Executive Committee during the F.Y. 2013-14**

The Meetings of the General Body, Board of Management and Executive Committee held during the year under report with dates and venues are listed below:

<b>Meetings</b>	<b>Place</b>	<b>Date</b>
<b>(a) Annual General Meeting (53rd)</b>	Navi Mumbai	15th July 2013
<b>(b) General Body (Election of Board of Management)</b>	Navi Mumbai	21st Sept. 2013
<b>(c) Board of Management</b>		
140th Board	Navi Mumbai	15th July 2013
141st Board	Patna (Bihar)	22nd Dec. 2013
142nd Board	New Delhi	20th March 2014

<b>(d) Executive Committee</b>		
	Navi Mumbai	25th May 2013
	New Delhi	20th March 2014

Important issues discussed in Board Meetings.

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under debenture floatation, advances, recovery etc., also considered and discussed the following subjects in its meetings.

1. Important decisions in the CGRIs at the level of SCARDBs and Sub Group on Reforms at the level of Federation.
2. Revival package for LTCCS - Joint Appeal by Members of Parliament to Prime Minister and Finance Minister.
3. Refinance allocations by NABARD to SCARDBs for 2013-14.
4. Revised scheme for selection of SCARDBs for performance Awards.
5. CVC jurisdiction over the employees of Multi-State Cooperative Societies like NAFED, KRIBHCO etc.
6. Central Sector Scheme for Development/Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardisation.
7. Central Sector Scheme of Capital Investment Subsidy for Construction/Renovation/Expansion of Rural Godowns.
8. Agriclincs and Agri Business Centres (ACABC)-Continuation of the Scheme for the financial year 2013-14
9. Review of Member Banks' Operations during 2012-13.
10. Delegation to Prime Minister regarding implementation of Revival package.
11. Reform Initiatives by SCARDBs.

12. Supreme Court Judgement on applicability of Right to Information Act to Cooperative Societies.
13. Risk Assessment of SCARDBs.
14. Meeting taken by the Secretary (Agri. & Coopn.) in connection with credit related issues.
15. Poultry Venture Capital Fund Continuation of the scheme for the year 2013-14.
16. Centrally sponsored scheme for establishing “poultry Estates” and Mother Units for Rural Backyard Poultry - Continuation of the scheme for the financial year 2013-14.
17. Integrated development of Small Ruminants and Rabbits - continuation of the scheme for the financial year 2013-14.
18. Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) continuation of the scheme for the financial year 2013-14
19. Central Sector Scheme on Pig Development - continuation of the scheme for the financial year 2013-14
20. Rural Godown (RG) and AMIGS schemes - Time limit for submission of final subsidy claims to NABARD.
21. Performance of SCARDBs during April - September 2013 in Key Operational areas.
22. Issues concerning refinance policies of NABARD.
23. Meeting with Chairman, NABARD held on 22 January 2014 in Navi Mumbai.
24. Progress of reforms through CGRI.
25. Business Development Plan for SCARDBs - Draft outline.
26. Interest rate on NABARD's refinance.
27. Proposal regarding Second Conference of Principal Secretaries (Coopn).
28. Performance of SCARDBs during April 2013 December 2013 in key operational areas.

## IX. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure accounts as per audited financial statements for the year 2013-14 are given below:

### ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr. No.	ASSETS	As on	
		31.3.14	31.3.13			31.3.14	31.3.13
1.	Reserve Fund & Other Funds	1733.46	1684.24	1.	Cash & Bank Balances	18.06	21.16
2.	Secured Loans	0.00	10.45	2.	Investments	1446.38	1404.37
3.	Other Liabilities & Provisions	50.62	43.18	3.	Fixed Assets	256.53	248.50
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	9.27	8.22	4.	Sundry Debtors & Receivables	55.90	57.56
				5.	Loans & Advances	11.30	10.89
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	5.18	3.61
	<b>TOTAL</b>	<b>1793.35</b>	<b>1746.09</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1793.35</b>	<b>1746.09</b>

### INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2013-14	2012-13
	<b>INCOME</b>		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	74.12	109.54
2.	Interest Income	71.78	85.42
3.	Grants received	0.00	18.00
4.	Miscellaneous Income / Dividend / Guest House service charges	0.52	0.62
5.	Provisions Written back	10.50	47.33
	<b>TOTAL (1 to 5)</b>	<b>156.92</b>	<b>260.91</b>
	<b>EXPENDITURE</b>		
1.	Management Cost	79.31	95.91
2.	Other Office Expenses	22.72	22.56
3.	Meetings / Seminar / Conference Expenses	8.45	32.00
4.	Premises Maintenance Expenses	8.31	8.98
5.	Provisions / Reserves	28.86	93.23
	<b>TOTAL (1 to 5)</b>	<b>147.65</b>	<b>252.68</b>
	<b>Surplus</b>	<b>9.27</b>	<b>8.23</b>

## Endowment Funds

The balance in the various endowment funds as on 31st March 2014 are furnished below.

Name of the Fund	Balance as on 31.3.2014	Purpose
1. B. Venkatratnam Memorial Fund	₹77,861.99	B.V. Memorial Trophy is awarded for the best ARDB in Category-I.
2. Udaybhansinghji Memorial Fund	₹1,24,473.42	(i) Awarding prizes to the meritorious trainees of Diploma Course in Land Development Banking at the Institutes of Coop. Management in the country run by the National Council for Coop. Training. (ii) Udaybhansinghji Memorial Trophy awarded to category-I.
3. Dattatrayalu Memorial Fund	₹59,647.50	The Dattatrayalu Trophy for the best bank in Category-III.
4. M.N. Nambiar Memorial Fund constituted by Kerala SCARDB	₹52,570.86	M.N. Nambiar Trophy is awarded for the best performance in lending by ARDBs.
5. Punjab Chief Minister's Trophy Fund Constituted by Punjab SCARDB	₹46,331.00	Punjab Chief Minister's Trophy is awarded for best performance in Recovery by ARDBs.
6. Silver Jubilee Fund	₹3,27,405.10	To offer one Fellowship covering fees for Diploma Course in Cooperative Business Management (DCBM) of VAMNICOM, Pune.
7. Asian Raiffeisen Center Fund constituted by Federation.	₹1,42,632.18	To undertake special programmes in collaboration with IRU.
<b>TOTAL</b>	<b>8,30,922.05</b>	

## **X. REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2013-14**

### **A. Loans Advanced**

The total loans advanced by 13 SCARDBs (fully functional) during the year 2013-14 amounted to ₹4498.46 crore as against ₹3710.82 crore during 2012-13. The increase in the loan disbursement during the current year amounted to ₹787.63 crore, showing an upward trend of 21.23% over the previous year. Increase in lending was observed in Uttar Pradesh (>100%), Tamil Nadu (28.03%), Kerala (27.07%), Punjab (16.10%) and Karnataka (3.64%) SCARDBs whereas there was decrease in lending in respect of Haryana (>100%), Tripura (>100%), West Bengal (>100%) Jammu & Kashmir (35.35%) and Gujarat (7.67%) SCARDBs. The aggregate loans outstanding at Ultimate Borrowers level stood at ₹16456.11 crore for the year 2013-14 as against ₹15978.82 crore for the previous year 2012-13.

### **B. Borrowings**

The aggregate borrowings of 13 SCARDBs (Fully functional) during the year 2013-14 amounted to ₹2441.64 crore, as against ₹2454.76 crore during 2012-13, resulting in a decrease of ₹13.12 crore. The share of NABARD refinance in the total amount raised by SCARDBs amounted to ₹1794.65 crore accounting for 73.50% whereas the borrowing from other agencies viz. NCDC, NHB, SCBs etc amounted to ₹597.82 crore accounting for 24.48% in the year 2013-14. Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu SCARDBs registered an increase in borrowings during the current year, whereas there was decrease in respect of Haryana (32.90%), West Bengal (16.85%) and Punjab (4.60%) SCARDBs. Jammu & Kashmir, Tripura and Uttar Pradesh have NIL borrowings) out of 13 SCARDBs (Fully functional).

The Borrowings Outstanding of 13 SCARDBs (Fully functional) amounted to ₹12804.68 crore as on 31 March 2014 as against ₹13202.26 crore as on 31 March 2013. The decrease in borrowing outstanding was mainly accounted by Uttar Pradesh (22.41%), Tripura (16.08%), Tamil Nadu (12.90%), Haryana (10.40%), Karnataka (4.70%) and Pondicherry (4.32%) SCARDBs while there was increase in case of Gujarat (91.24%) & Kerala (9.95%) SCARDBs and marginally high in case of Punjab (1.89%) SCARDB.

### **C. Deposit Mobilisation**

During the year 2013-14, 11 SCARDBs (Fully functional) raised ₹736.53 crore as against ₹632.59 crore in the year 2012-13 reporting an increase of ₹103.94 crore (16.43%) over the previous year. The increase in deposit mobilization was observed in case of Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh SCARDBs and marginally higher in case of West Bengal SCARDB. However there was decrease in case of Punjab SCARDB.

The deposits outstanding as on 31 March 2014 amounted to ₹1125.50 crore as against ₹869.52 crore as on 31 March 2013 reporting an increase of ₹255.98 crore (29.44%) over the previous year.

### **D. Financial Performance**

The Profit / Loss position as on 31 March 2014, in respect of 13 SCARDBs (Fully functional) shows that 8 SCARDBs were in profit and remaining 5 SCARDBs (Haryana, Jammu & Kashmir, Pondicherry, Tripura and West Bengal) incurred losses. The total profit of 8 SCARDBs stood at ₹97.29 crore and the losses of 5 SCARDBs amounted to ₹143.62 crore.

### **E. Non Performing Assets**

The total loan outstanding of 13 SCARDBs (Fully functional) amounted to ₹14737.85 crore as on 31 March 2014 and the NPA stood at ₹2891.12 crore amounting to 19.62% of the total loan outstanding as against 17.83% as on 31 March 2013.

### **F. Recovery Performance**

The yearly recovery performance at Ultimate Borrowers level is worked out for the period July 2012 - June 2013. As the data as on 30 June 2014 was not readily available at the time of finalizing this report, the position as on 30 June 2013 is considered for review. The total ground level demand of 13 ARDBs (Fully functional) during 2012-13 (30 June 2013) were ₹10309.91 crore against which collections amounted to ₹4902.35 crore which formed 47.55% of demand as against 42.67% as on 30 June 2012. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 7 SCARDBs viz. Karnataka, Kerala, Pondicherry, Punjab, Tamil

Nadu, Tripura and West Bengal SCARDBs whereas Gujarat, Himachal Pradesh & Uttar Pradesh were in the range of 40 to 50%.

### **G. General Information**

There was no change in the structural pattern of SCARDBs during the year 2013-14 under report. Of the 19 SCARDBs, the number of federal and unitary SCARDBs continued to be 10 and 7 respectively and the remaining 2 SCARDBs having a mixed structural pattern comprising of affiliated PCARDBs as well as own branches. The general administrative data is worked out for both fully functional and non-fully functional SCARDBs for the year 2013-14, based on the information readily available at the time of finalizing this report, the position as on 31 March 2014 is considered for review.

The Unitary/Mix structure SCARDBs were operating through 823 branches. The Federal structure had 714 PCARDBs which in turn had 991 branches as on 31 March 2014. The total membership of 18 SCARDBs (Maharashtra did not reported) as on 31 March 2014 was 122.40 Lakh of which the borrowing members were 69.12 Lakh. While 12 SCARDBs had elected board and 7 SCARDBs did not have an elected board as on 31 March 2014. At PCARDB level, 548 PCARDBs had elected board as on 31 March 2014. The data in brief in this regard is as under:-

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>As on 31-03-2014</b>	<b>As on 31-03-2013</b>
1)	Number of SCARDBs (Federal)	10	10
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	823	823
5)	Number of PCARDBs (Federal)	714	714
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	991	991
7)	Total Membership (in Lakh)	122.40	122.48
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	69.12	69.81
9)	Number of SCARDBs having Elected board	12	13
10)	Number of PCARDBS having elected board	548	382
11)	Staff in SCARDBs (Number)	5813	6139
12)	Staff in PCARDBs (Number)	8662	9102

## **XI.ACKNOWLEDGEMENT**

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry for its continued support and guidance to the Federation as well as Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance support to SCARDBs and taking initiatives to strengthen the Long Term Cooperative Credit Structure. NABARD continued its refinance support to SCARDBs during the year under report even though the quantum of such support has been coming down and its cost increasing substantially due to changes in its policies with regard to SCARDBs since 2011-12 which we hope will be reversed. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks have been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better. We acknowledge our gratitude to these institutions.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Board of Management places on record its gratitude to Hon'ble Members of Parliament especially Prof. P.J. Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha and Shri Anto Antony, Member Lok Sabha who took the lead role in organizing the Meeting of Parliamentarians for taking up the issues in the Long Term Cooperative Credit Structure with Government of India.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge

our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Shri Bijay Kumar Singh, Shri Dalip Singh Yadav and Shri Ashok Kumar Faujdar, gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector during an extremely challenging period.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

**Sukhdarshan Singh Mrar**  
**Chairman**

**TABLE 1 - BORROWING**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2013-14				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2013-14 (3+4+5+6)	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Fully Functional</b>							
1.	GUJARAT	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.00
2.	HARYANA	6797.25	377.63	377.63	41650.00	49202.51	73321.25
3.	HIMACHAL PRADESH *	0.00	0.00	1057.00	0.00	1057.00	1057.00
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KARNATAKA	9998.17	800.00	400.00	0.00	11198.17	8564.19
6.	KERALA	77800.00	0.00	0.00	5000.00	82800.00	68242.65
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	389.10	389.10	392.18
8.	PUNJAB	43000.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	45074.55
9.	RAJASTHAN *	19969.28	795.20	1109.40	0.00	21873.88	21873.88
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	12743.00	12743.00	11316.42
11.	TRIPURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	UTTAR PRADESH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	WEST BENGAL	12999.99	0.00	0.00	0.00	12999.99	15633.40
<b>TOTAL A [1 to 13]</b>		<b>179464.69</b>	<b>1972.83</b>	<b>2944.03</b>	<b>59782.10</b>	<b>244163.65</b>	<b>245475.52</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>							
1.	ASSAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	BIHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	CHHATTISGARH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	13532.72	600.62	14133.34	17532.80
5.	MAHARASHTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	ORISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL B [1 to 6]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13532.72</b>	<b>600.62</b>	<b>14133.34</b>	<b>17532.80</b>

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.

**TABLE 2 - BORROWING OUTSTANDING**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC / NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2014 (3+4+5+6)	As on 31/03/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Fully Functional</b>							
1.	GUJARAT	13100.10	105.79	0.00	51.47	13257.36	6932.35
2.	HARYANA	157510.42	4373.71	4399.45	27569.00	193852.58	216357.51
3.	HIMACHAL PRADESH *	16731.15	632.05	1077.30	0.00	18440.50	18440.50
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	KARNATAKA	137925.44	908.18	908.18	0.00	139741.80	146635.71
6.	KERALA	296814.83	1277.69	1277.69	12731.59	312101.80	283867.69
7.	PONDICHERRY	2.06	0.00	0.75	754.96	757.77	791.98
8.	PUNJAB	215456.38	660.67	197.78	0.00	216314.83	212306.44
9.	RAJASTHAN *	118924.27	3366.31	3645.56	0.00	125936.14	125936.14
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	6389.87	7635.00	14024.87	16101.65
11.	TRIPURA	2942.48	0.00	44.50	0.00	2986.98	3559.25
12.	UTTAR PRADESH	149658.51	2825.69	2829.04	2500.00	157813.24	203390.65
13.	WEST BENGAL	84199.68	0.00	0.00	424.59	84624.27	85289.88
	<b>TOTAL A [1 to 13]</b>	<b>1193265.32</b>	<b>14429.37</b>	<b>21106.84</b>	<b>51666.61</b>	<b>1280468.14</b>	<b>1320225.75</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>							
1.	ASSAM *	0.00	57.48	145.02	12.00	214.50	214.50
2.	BIHAR *	731.16	89.41	860.66	0.00	1681.23	1681.23
3.	CHHATTISGARH	0.00	0.00	0.00	225.63	225.63	11474.04
4.	MADHYA PRADESH	57796.04	2480.12	63052.67	4807.64	128136.47	125575.53
5.	MAHARASHTRA	0.00	0.00	6547.64	83393.48	89941.12	89941.12
6.	ORISSA *	0.00	541.21	5603.41	1.64	6146.26	6146.26
	<b>TOTAL B [1 to 6]</b>	<b>58527.20</b>	<b>3168.22</b>	<b>76209.40</b>	<b>88440.39</b>	<b>226345.21</b>	<b>235032.68</b>

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.

**TABLE 3 - DEPOSIT MOBILIZATION**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Raised During		Deposit Outstanding as on	
		2013-14	2012-13	31.03.2014	31.03.2013
1	2	3	4	5	6
<b>A. Fully Functional</b>					
1.	GUJARAT	17705.57	16785.67	22019.30	20558.79
2.	HIMACHAL PRADESH #	2284.70	1510.00	5260.84	3480.74
3.	JAMMU & KASHMIR	945.30	832.56	3154.80	2209.50
4.	KARNATAKA	6005.64	4474.71	11868.78	9254.83
5.	KERALA	25632.46	22311.45	16049.61	10124.35
6.	PONDICHERRY	849.92	721.23	1138.85	1096.72
7.	PUNJAB	2394.77	6487.83	15866.38	13471.60
8.	RAJASTHAN #	85.04	51.50	75.49	138.26
9.	TAMIL NADU	15821.78	8264.23	16264.82	7694.69
10.	UTTAR PRADESH	80.98	0.00	5568.07	5487.08
11.	WEST BENGAL	1846.78	1819.50	15282.54	13435.76
	<b>TOTAL A [1 to 11]</b>	<b>73652.94</b>	<b>63258.68</b>	<b>112549.48</b>	<b>86952.32</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>					
1.	ASSAM *	14.44	14.44	24.76	24.76
2.	CHHATTISGARH	1418.91	1888.93	1473.98	2015.06
3.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	4799.90	6396.46
4.	ORISSA	0.00	0.00	112.10	116.63
	<b>TOTAL B [1 to 4]</b>	<b>1433.35</b>	<b>1903.37</b>	<b>6410.74</b>	<b>8552.91</b>

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.

(2) # Data reported from Monthly Statements - March 2014.

**TABLE 4 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	DISBURSED DURING 2013-14		GRAND TOTAL		OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2014		TOTAL OUTSTANDING	
		FARM SECTOR	NON FARM SECTOR (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	2013-14 (3+4)	2012-13	FARM SECTOR	NON FARM SECTOR (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	As on 31-03-2014 (7+8)	As on 31-03-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Fully Functional</b>									
1.	GUJARAT	14744.88	2805.95	17550.83	19008.81	55154.76	3092.99	58247.75	57989.36
2.	HARYANA	4412.50	2264.80	6677.30	17295.78	133334.83	76235.82	209570.65	219206.52
3.	HIMACHAL PRADESH *	1621.52	1092.43	2713.95	2713.95	13130.29	8723.75	21854.04	21854.04
4.	JAMMU & KASHMIR	574.30	105.39	679.69	1051.39	2029.99	651.48	2681.47	2019.02
5.	KARNATAKA	22445.12	119.46	22564.58	21771.25	137116.88	2943.99	140060.87	136590.89
6.	KERALA	39840.93	155454.98	195295.91	153696.82	77565.44	335777.11	413342.55	326474.36
7.	PONDICHERY	0.00	1642.40	1642.40	1658.86	10.67	1895.44	1906.11	1931.72
8.	PUNJAB	39229.57	10882.13	50111.70	43164.36	132706.90	92643.88	225350.78	218753.71
9.	RAJASTHAN *	17313.48	6451.94	23765.42	23765.42	98166.61	29797.41	127964.02	127964.02
10.	TAMIL NADU	NR	NR	82804.95	64678.76	16.92	58031.29	58048.21	70308.29
11.	TRIPURA	21.28	86.60	107.88	641.70	511.39	2068.01	2579.40	3034.79
12.	UTTAR PRADESH	32113.69	8539.37	40653.06	5581.26	NR	NR	281493.84	305709.53
13.	WEST BENGAL	4201.90	1075.62	5277.52	16053.18	72994.15	29517.02	102511.17	106045.79
<b>TOTAL A [1 to 13]</b>		<b>176519.17</b>	<b>190521.07</b>	<b>449845.19</b>	<b>371081.54</b>	<b>722738.83</b>	<b>641378.19</b>	<b>1645610.86</b>	<b>1597882.04</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>									
1.	ASSAM *	0.00	18.57	18.57	18.57	491.25	350.87	842.12	842.12
2.	BIHAR *	0.00	4.05	4.05	4.05	3912.33	1787.81	5700.14	5700.14
3.	CHHATTISGARH	0.00	0.00	0.00	2.11	13667.86	346.15	14014.01	14688.88
4.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	0.00	0.00	96415.29	9176.60	105591.89	108178.61
5.	MAHARASHTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	NR	NR	NR	NR
6.	ORISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	NR	NR	10637.28	10637.28
<b>TOTAL B [1 to 6]</b>		<b>0.00</b>	<b>22.62</b>	<b>22.62</b>	<b>24.73</b>	<b>114486.73</b>	<b>11661.43</b>	<b>136785.44</b>	<b>140047.03</b>

Note:- (1) NR denotes 'Not Reported'

(2) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.

**TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	As on 31-03-2014	As on 31-03-2013
1	2	3	4
<b>A. Fully Functional</b>			
1.	GUJARAT	2349.97	3751.59
2.	HARYANA	(5904.93)	(2291.56)
3.	HIMACHAL PRADESH *	39.00	39.00
4.	JAMMU & KASHMIR	(4318.26)	(3943.58)
5.	KARNATAKA	9.35	7.04
6.	KERALA	2114.98	2065.32
7.	PONDICHERRY	(74.55)	(21.06)
8.	PUNJAB	2877.85	2877.85
9.	RAJASTHAN *	296.80	296.80
10.	TAMIL NADU *	229.20	229.20
11.	TRIPURA	(1643.59)	(1626.92)
12.	UTTAR PRADESH	1811.47	8179.34
13.	WEST BENGAL	(2420.75)	5.86
<b>B. Not Fully Functional</b>			
1.	ASSAM *	(281.95)	(281.95)
2.	CHHATTISGARH	(3610.03)	(2843.91)
3.	MADHYA PRADESH *	(13987.82)	(13987.82)
4.	MAHARASHTRA *	(91223.56)	(91223.56)
5.	ORISSA *	(13484.28)	(13484.28)

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.

(2) Figures in brackets indicate loss.

**TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	NPA - AS ON 31 MARCH 2014			NPA - AS ON 31 MARCH 2013		
		Total Loan Outstanding	NPAs	% of NPA to Total Loans Outstanding	Total Loan Outstanding	NPAs	% of NPA to Total Loans Outstanding
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Fully Functional</b>							
1.	GUJARAT	58247.75	25317.14	43.46	57989.36	23271.16	40.13
2.	HARYANA	210219.92	97962.47	46.60	220136.36	64887.74	29.48
3.	HIMACHAL PRADESH *	22793.11	10961.56	48.09	22793.11	10961.56	48.09
4.	JAMMU & KASHMIR	2681.47	265.13	9.89	2019.02	276.28	13.68
5.	KARNATAKA	140060.87	37103.40	26.49	136590.89	36865.91	26.99
6.	KERALA	413342.12	13041.86	3.16	326474.36	11203.67	3.43
7.	PONDICHERRY	1906.11	84.46	4.43	1931.72	77.56	4.02
8.	PUNJAB	224014.59	4580.50	2.04	218753.71	7574.22	3.46
9.	RAJASTHAN *	141035.79	54122.66	38.38	141035.79	54122.66	38.38
10.	TAMIL NADU *	151934.53	15669.61	10.31	151934.53	15669.61	10.31
11.	TRIPURA	2579.41	1307.74	50.70	3034.79	1138.99	37.53
12.	UTTAR PRADESH	2458.03	1138.08	46.30	2646.87	2024.19	76.47
13.	WEST BENGAL	102511.17	27557.82	26.88	106045.79	19962.44	18.82
<b>TOTAL A [1 to 13]</b>		<b>1473784.87</b>	<b>289112.43</b>	<b>19.62</b>	<b>1391386.30</b>	<b>248035.99</b>	<b>17.83</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>							
1.	ASSAM *	842.12	822.11	97.62	842.12	822.11	97.62
2.	BIHAR *	5700.14	5662.76	99.34	5700.14	5662.76	99.34
3.	CHHATTISGARH	14014.00	9912.54	70.73	14688.88	9736.71	66.29
4.	MADHYA PRADESH *	108178.61	84242.70	77.87	108178.61	84242.70	77.87
5.	MAHARASHTRA *	115456.94	113552.96	98.35	115456.94	113552.96	98.35
6.	ORISSA *	10637.28	10530.91	99.00	10637.28	10530.91	99.00
<b>TOTAL B [1 to 6]</b>		<b>254829.09</b>	<b>224723.98</b>	<b>88.19</b>	<b>255503.97</b>	<b>224548.15</b>	<b>87.88</b>

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.

**TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION**

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	AT ULTIMATE BORROWERS LEVEL									
		As on 30.06.13					As on 30.06.12				
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>A. Fully Functional</b>											
1.	GUJARAT	51356.52	23224.73	28131.79	45.22	55685.93	26340.17	29345.76	47.30		
2.	HARYANA	159585.74	42484.53	117101.21	26.62	167012.93	64489.39	102523.54	38.61		
3.	HIMACHAL PRADESH	13490.49	6394.28	7096.21	47.40	13485.76	6859.12	6626.64	50.86		
4.	JAMMU & KASHMIR #	1255.48	458.11	797.37	34.09	1240.13	476.56	763.57	38.43		
5.	KARNATAKA	59920.84	30715.30	29205.54	51.26	56022.62	30360.70	25661.92	54.19		
6.	KERALA	129133.54	93780.55	36352.99	72.62	108642.78	78424.77	30218.01	72.19		
7.	PONDICHERY	1857.56	1773.31	84.25	95.46	1557.17	1493.18	63.99	95.89		
8.	PUNJAB	120179.73	76395.90	43783.83	63.57	118894.90	73300.78	45594.12	61.65		
9.	RAJASTHAN	115303.32	43901.10	71402.22	38.07	108461.02	43494.64	64966.38	40.10		
10.	TAMIL NADU	27673.43	13856.72	13816.71	50.07	16397.49	2496.88	13900.61	15.23		
11.	TRIPURA	1600.23	900.76	699.47	56.29	1230.00	893.01	336.99	72.60		
12.	UTTAR PRADESH	304953.56	129527.05	175426.51	42.47	228980.07	39592.64	189387.43	17.29		
13.	WEST BENGAL	44680.70	26822.18	17858.52	60.03	42271.15	24251.03	18020.12	57.37		
<b>TOTAL A [1 to 13]</b>		<b>1030991.14</b>	<b>490234.52</b>	<b>540756.62</b>	<b>47.55</b>	<b>919881.95</b>	<b>392472.87</b>	<b>527409.08</b>	<b>42.67</b>		
<b>B. Not Fully Functional</b>											
1.	ASSAM	538.58	32.00	506.58	5.94	586.11	41.71	544.40	7.12		
2.	BIHAR	34747.57	2226.84	32520.73	6.41	34761.69	3615.31	31146.38	10.40		
3.	CHHATTISGARH	10013.26	3306.17	6707.09	33.02	9907.19	4176.56	5730.63	42.16		
4.	MADHYA PRADESH	90197.20	8878.16	81319.04	9.84	82874.08	14509.86	68364.22	17.51		
5.	MAHARASHTRA *	58620.84	9902.73	48718.11	16.89	58620.84	9902.73	48718.11	16.89		
6.	ORISSA	2400.07	20.14	2379.93	0.84	2241.15	126.74	2114.41	5.66		
<b>TOTAL B [1 to 6]</b>		<b>196517.52</b>	<b>24366.04</b>	<b>172151.48</b>	<b>12.40</b>	<b>188991.06</b>	<b>32372.91</b>	<b>156618.15</b>	<b>17.13</b>		

Note:- (1) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review Annual Report 2013-14 as the data was not available at the time of report finalisation.

(2) # Collection includes waiver of interest under OTAS &amp; IRAC norms however percentage excludes waived amount during the year 2012-13.

**TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA**

(Number)

Sr. No.	Name of the SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings+ Non-Borrowings)	
		31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Fully Functional</b>									
1	GUJARAT	181	181	NA	NA	NA	NA	673488	675723
2	HARYANA	0	0	19	19	76	76	737978	742883
3	HIMACHAL PRADESH *	33	33	1	1	16	16	77404	77404
4	JAMMU & KASHMIR	45	45	NA	NA	NA	NA	94389	93981
5	KARNATAKA	23	23	177	177	0	0	1091412	1091412
6	KERALA	14	14	63	63	159	159	1256894	1256894
7	PONDICHERRY	1	1	NA	NA	NA	NA	16951	16492
8	PUNJAB	0	0	89	89	0	0	848248	849928
9	RAJASTHAN *	7	7	36	36	131	131	1196548	1196548
10	TAMIL NADU	18	18	180	180	NR	0	2159065	2159065
11	TRIPURA	5	5	0	0	0	0	22796	23567
12	UTTAR PRADESH *	323	323	NA	NA	NA	NA	2776085	2776085
13	WEST BENGAL *	2	2	24	24	84	84	204360	204360
	<b>TOTAL A [1 to 13]</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>11155618</b>	<b>11164342</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>									
1	ASSAM *	28	28	NA	NA	NA	NA	40972	40972
2	BIHAR *	131	131	NA	NA	NA	NA	702362	702362
3	CHHATTISGARH *	0	0	12	12	76	76	213172	213172
4	MADHYA PRADESH	7	7	38	38	262	262	127289	127289
5	MAHARASHTRA	0	0	29	29	187	187	NR	NR
6	ORISSA *	5	5	46	46	0	0	47	47
	<b>TOTAL B [1 to 6]</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>1083842</b>	<b>1083842</b>

Note:- (1) NR denotes 'Not Reported'

(2) NA denotes 'Not Applicable'

(3) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.

Conti...

**TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA**

(Number)

Sr. No.	Name of the SCARDB	Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards		Staff of SCARDBs (Number)		Staff of PCARDBs (Number)	
		31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A. Fully Functional</b>											
1	GUJARAT	673488	675723	Yes	Yes	NA	NA	406	430	NA	NA
2	HARYANA	217247	256204	Yes	Yes	19	19	93	121	1139	1187
3	HIMACHAL PRADESH *	43610	43610	Yes	Yes	1	1	119	119	61	61
4	JAMMU & KASHMIR	75381	74973	No	No	NA	NA	148	155	NA	NA
5	KARNATAKA	664326	664326	Yes	Yes	175	175	333	372	861	954
6	KERALA	827032	827032	Yes	Yes	63	62	288	310	1120	1120
7	PONDICHERRY	4262	4209	No	No	NA	NA	32	33	NA	NA
8	PUNJAB	174616	201263	Yes	Yes	76	78	295	338	599	898
9	RAJASTHAN *	766038	766038	Yes	Yes	NR	NR	124	124	575	575
10	TAMIL NADU	387301	387301	Yes	No	180	0	130	140	590	590
11	TRIPURA	4087	4858	Yes	Yes	0	0	42	43	NA	NA
12	UTTAR PRADESH *	2534568	2534568	Yes	Yes	NA	NA	2560	2672	NA	NA
13	WEST BENGAL *	144054	144054	No	Yes	NR	NR	109	124	564	564
	<b>TOTAL A [1 to 13]</b>	<b>6516010</b>	<b>6584159</b>	-	-	<b>514</b>	<b>335</b>	<b>4679</b>	<b>4981</b>	<b>5509</b>	<b>5949</b>
<b>B. Not Fully Functional</b>											
1	ASSAM *	3379	3379	Yes	Yes	NA	NA	NR	NR	NA	NA
2	BIHAR *	214790	214790	Yes	Yes	NA	NA	662	662	NA	NA
3	CHHATTISGARH *	50922	50922	No	Yes	0	12	36	38	315	315
4	MADHYA PRADESH	127289	127289	No	No	34	34	249	271	1585	1585
5	MAHARASHTRA	NR	NR	No	No	NR	1	115	115	1176	1176
6	ORISSA *	46	46	No	No	0	0	72	72	77	77
	<b>TOTAL B [1 to 6]</b>	<b>396426</b>	<b>396426</b>	-	-	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>1134</b>	<b>1158</b>	<b>3153</b>	<b>3153</b>

Note:- (1) NR denotes 'Not Reported'

(2) NA denotes 'Not Applicable'

(3) \* Position as on 31.03.2013 is considered for review as the data was not available at the time of report finalisation.



National level Sub-group Meeting on “Reforms in LTCCS” at NCARDB Federation on 25th May 2013.



141st Board Meeting of the NCARDB Federation at Patna, Bihar on 22nd December 2013.  
Seen on Dias (L-R) Shri Bijay Singh, Vice-Chairman, Federation; Dr. Bijender Singh;  
Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Federation; Shri K. Sivadasan Nair,  
MLA, Vice-Chairman, Federation; Shri Kishan Singh Bhatol, Vice-Chairman, Federation  
and Shri K. K. Ravindran, Managing Director, Federation.



Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation greeting Shri Harsh Kumar Bhanwala on his appointment as Chairman, NABARD at NABARD Head Office.



Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice-Chairman, Federation welcoming Shri Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD at Federation's Office on 22nd January 2014.



Address of Shri K. Sivadasan Nair - Meeting of Member Banks' representatives with NABARD Chairman at Federation's Office on 22nd January 2014.



Address of Shri Harsh Kumar Bhanwala - Meeting of Member Banks' representatives with NABARD Chairman at Federation's Office on 22nd January 2014.



Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Federation welcoming Dr. Chandra Pal Singh, President, NCUI at 142nd Board Meeting of NCARDB Federation Ltd., at NCUI, New Delhi on 20th March 2014.



Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Federation addressing at National Seminar on “Sharing of Best Practices in Loan Recovery” at NCUI, New Delhi on 20th March 2014. Seen on Dias (L-R) Dr. Dinesh, CEO, NCUI; Dr. Chandra Pal Singh, President, NCUI and Shri K. K. Ravindran, Managing Director, Federation

# चौवनवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,  
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फ़ैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५  
ई-मेल : [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com) वेबसाईट : [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)

## राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित, मुम्बई की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

### नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2013-14 के लिये राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 8 अगस्त 2014 की मध्याह्न 12.00 बजे होटल ऑर्किड, के सम्मेलन कक्ष 'चान्सरे-9', निकट देशीय हवाई अड्डे, मुम्बई में निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु आयोजित होगी :-

1. 15 जुलाई 2013 को महासंघ के कार्यालय नवी मुम्बई में सम्पन्न महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु।
2. वर्ष 2013-14 के सम्प्रेक्षित खातों के लेखा विवरण पर विचार।
3. वर्ष 2013-14 के अधिशेष का निस्तारण।
4. 31.03.2014 को समाप्त हुये वर्ष में लेखा परीक्षकों के लेखा के सांविधिक प्रतिवेदन पर विचार।
5. 31.03.2014 को लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार।
6. वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
7. वर्ष 2013-14 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके शुल्क निर्धारण पर विचार।
8. वर्ष 2015-16 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा महासंघ की उपविधियों के अनुरूप, सामान्य निकाय में महासंघ के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सदस्य बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य, जिसे प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया हो, अथवा जहां प्रबन्ध समिति का गठन न हुआ हो, के सदस्य बैंक का प्रशासक अथवा जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, से मिल कर बनेगा। तदनुसार सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वह महासंघ को सामान्य निकाय में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि का नाम प्रबन्धक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य निकाय की बैठक के कम से कम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा

स्थान- नवी मुम्बई  
दिनांक-04-07-2014

हस्ताक्षरित / -  
(के.के.रविन्द्रन)  
प्रबन्ध निदेशक

## I. आर्थिक परिदृश्य

2013-14 में भारत की विकास दर लगातार दूसरे वर्ष भी 5% से नीचे रही। अन्तिम तिमाही में लगभग 6% तक पहुँचने की अपेक्षाओं के साथ वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के लिये 4.9% आंगणित की गई। वर्ष 2008-09, अर्थात् वर्तमान वैश्विक मन्दी के प्रारम्भ होने के वर्ष से, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर नीचे अंकित है:—

2008-09	6.8%
2009-10	8%
2010-11	8.6%
2011-12	6.5%
2012-13	4.5%
2013-14	4.9% (अनुमानित)

वर्ष 2014-15 के अन्तरिम बजट को प्रस्तुत करते हुये वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 में 3.1% तथा 2013-14 में 3.0% की वैश्विक वृद्धि का भारत की वृद्धि दर पर प्रभावशाली असर का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यद्यपि वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% पर नियंत्रित किया जा सकता है तथा चालू खाते के घाटे को 88 अरब अमरीकी डालर से 45 अरब अमरीकी डालर नीचे लाया जा सकता है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लक्ष्य प्राप्त न हो पाने के बावजूद कृषि ने गत चार वर्षों की औसत वृद्धि 4.0% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद ने वर्ष 2013-14 में 4.6% की एक उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। खाद्यान्न का उत्पादन 255.36 लाख टन से बढ़ कर 263 लाख टन तक पहुँच जाने का अनुमान है। गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन तथा उत्तम बीजों के उत्पादन ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

भारतीय अर्थ व्यवस्था ने 1991 के व्यापार एवं निवेश में उदारीकरण और खुलेपन के बाद से त्वरित दर से आर्थिक वृद्धि अर्जित की है। सहज शब्दों में, भारत सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व का 10वां तथा क्रय शक्ति समता के दृष्टिकोण सबसे तीसरा सबसे बड़ा देश है। तथापि, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केवल सकल घरेलू उत्पाद में भारत 141वें तथा क्रय शक्ति समता में 130वें नम्बर पर आता है। भारतीय अर्थ व्यवस्था को अनेक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण यह देश विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे है। आर्थिक विकास को चिरस्थाई बनाना जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की प्रगति की सम्भावनाओं से बिना कोई समझौता किये हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना आज सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा तथा मूलभूत सुविधाओं पर वातावरण की दृष्टि से उत्तरदायी ढंग से आर्थिक विकास को स्थाई बनाने के लिए सर्वाधिक

निवेश करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास देश की दूसरी प्रमुख समस्या है। एक गम्भीर समस्या जिसका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है, वह है विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों के मध्य गरीबी, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में तीव्र और बढ़ती हुई क्षेत्रीय विभिन्नता। राज्यों के मध्य आय, साक्षरता की दर, आयु सम्भव्यता तथा रहन-सहन की स्थितियों में गम्भीर असमानता है। वस्तुतः आर्थिक विकास ने गत एक दशक में असमानताओं को घटाने के स्थान पर उन्हें बढ़ाया है।

भारत में लगभग 200 करोड़ लोग 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं। उत्तम शिक्षा के साथ भारत को वृहद मानव संसाधन समूह से अधिकतम जनसंख्या को लाभान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि, भले ही सरकार ने शिक्षा की उपलब्धता के स्तर को सुधारने के लिये अच्छी नीतियां लागू की हों, शिक्षा के बुनियादी स्वरूप, शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षण स्तर में बहुत अधिक सुधार नहीं ही हुआ है। गरीबों के बच्चों एवं सम्पन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे अवसर एवं गुणात्मक शिक्षा के मध्य अन्तर को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति (महंगाई) एक प्रमुख समस्या है जो गरीब वर्ग, जिसमें निश्चित आय वाले लोग भी सम्मिलित हैं, के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। आर्थिक मन्दी तथा सकल घरेलू उत्पाद में विगत पांच वर्षों से आ रही गिरावट के बावजूद महंगाई कम नहीं हुई है। वर्ष 2013 में आपूर्ति की कमी तथा खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि के कारण महंगाई 11% थी। मुद्रास्फीति विरोधी सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियां न केवल अप्रभावी ही रहीं अपितु स्वयं को पराजित कराने वाली थीं क्योंकि यह मन्दी को नहीं रोक सकने में असफल रही जो आपूर्ति में कमी के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि का कारण थी।

भारत के भुगतान सन्तुलन में ह्यस गम्भीर चिन्ता का विषय है। भारत का व्यापार सन्तुलन लगभग सभी व्यापार भागीदारों के साथ हानि की स्थिति में हैं। 2013 में, केवल चीन के साथ ही व्यापार घाटा 31.42 अरब अमरीकी डॉलर था जो देश के भुगतान सन्तुलन घाटे का लगभग 2/3 है। भुगतान संतुलन में कमी जो 2012 में सकल घरेलू उत्पाद से 6% पर थी, में 2013 में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ। हालांकि, भारत का निर्यात आयात की तुलना में लगातार धीमा रहा। वर्तमान समय में भारत विश्व का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक तथा 10वां सर्वाधिक आयातक देश है। चालू भुगतान संतुलन खाते में गिरावट के कारण भारतीय रुपया, 29 अगस्त 2013 को अमरीकी डालर की तुलना में अब तक के सबसे निचले मूल्य ₹68.80 पर पहुँच गया।

भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है जो भारत की प्रगति को प्रभावित कर रही है। ट्रांसपैरेन्सी इण्टरनेशनल ने विश्व के 183 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर में भारत को 95वां स्थान दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सार्वजनिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण तथा राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा सतर्कता आयोग की स्थापना से बहुतायत मात्रा में भ्रष्टाचार कम हुआ है किन्तु भ्रष्टाचार भारत के विकास को निरन्तर अवरुद्ध कर रहा है। देश को आगामी 15 से 20 वर्ष में एक सुविकसित राष्ट्र बनाने के लिये इन मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की आवश्यकता है।

## II. कृषि- आम परिदृश्य

पिछले तीन दशकों से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ऊँची वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद के कृषि के अंश में 14% तक की उत्तरोत्तर गिरावट हुई है। यद्यपि लगभग देश की 70% आबादी अभी भी ग्रामीण भारत में निवास करती है तथा लगभग 60% पूर्णरूप से जीवन यापन के लिये प्रायः कृषि पर ही निर्भर करती है। अतः ग्रामीण जन के जीवन स्तर को सुधारने तथा बढ़ती हुई आबादी को बढ़ती हुई आय के साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये कृषि का विकास करना भारत का मुख्य प्रयास है। भारत को वैश्विक कृषि शक्ति का केन्द्र कहा जाता है। यह दुग्ध, दलहन तथा मसाला उत्पादन तथा पशु समूह एवं गेहूँ, चावल तथा कपास उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ व बकरी के गोश्त, फल, सब्जियां तथा चाय का उत्पादक देश है। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र का 37% यानि कि 195 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है तथा शेष 63% वर्षा सिंचित क्षेत्र है। देश का 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आक्षादित है।

भारतीय कृषि के पास उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन दो प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत की कृषि उत्पादकता अर्थात् प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन विश्व में सबसे कम है। भूमि की प्रति इकाई कृषि उत्पादकता बढ़ाना ही एक मात्र उत्पादन बढ़ाने का तरीका है क्योंकि खेती योग्य भूमि पर कृषि कार्य पहले से ही हो रहा है। पैदावार बढ़ाने, अपेक्षाकृत ऊँचे मूल्य की फसलों की ओर पथान्तरण तथा विपणन लागत कम करने के लिये मूल्य श्रृंखला का विकास करना कुछ प्रमुख उपाय हैं जिससे कृषि विकास में गति लाई जा सकती है।

समाजिक रूप से समावेशी रणनीति अपना कर जिसमें कृषि तथा अकृषि दोनों का नियोजन सम्मिलित हो, गरीबी कम करने के लिए आवश्यक हैं। विकास से गरीब, भूमिहीन, महिलायें, अनुसूचित एवं जन जातियों के लोग लाभान्वित होने चाहिए। बहुसंख्यक गरीब वर्षा-सिंचित पूर्वी भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों के देश के अन्य भागों के बराबर विकास के लिए, विशेष कार्यक्रम होने चाहिए। विगत 15 वर्षों में ग्रामीण गरीबी में कमी की दर 1% प्रति वर्ष रही है जो निकट भविष्य में गरीबी उन्मूलन के लिये पूर्णतः अपर्याप्त है।

70 के दशक में हुई हरित क्रान्ति तथा 80 के दशक की कृषि गहनता के बाद भारत के कृषि के विकास की गति काफी धीमी हुई है। 70 एवं 80 में कृषि विकास में आयी त्वरित गति से ग्रामीण मजदूरों की बढ़ी मांग तथा खाद्यान्न के मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप बढ़ी ग्रामीण मजदूरी से ग्रामीण गरीबी में कमी लायी जा सकती थी। फिर भी 90 के दशक तथा 2000वें वर्षों में कृषि विकास दर लगभग 3.5% प्रति वर्ष के औसत पर गिरी तथा अनाज उत्पादन 1.4% प्रतिवर्ष के औसत पर 2000वें वर्षों में गिरा। भारत में चावल का उत्पादन चीन का 1/3 है तथा वियतनाम एवं इण्डोनेशिया का आधा है। उसी प्रकार अधिकतर दूसरी अन्य सभी कृषि उत्पादों के उत्पादन की स्थिति है। भारतीय कृषि को और अधिक उत्पादक, विविधतापूर्ण तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा की सुदृढ़ नींव बनाने के लिए नीतिगत कार्यवाहियों तथा सार्वजनिक कार्यक्रम अपेक्षित है।

निम्नांकित क्षेत्रों को कृषि के लिए सार्वजनिक नीतियों एवं कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है:—

### 1) कृषि शोध एवं प्रसार

मूलभूत सुविधाओं एवं कार्यों के लिए पुरानी न्यून निधीकरण के कारण भारत के कृषि शोध एवं प्रसार में समय के साथ गिरावट आई है। इसी प्रकार सार्वजनिक प्रसार सेवाएं किसानों को छोटी-मोटी जानकारी देती हैं। शोध एवं प्रसार के मध्य अलगाव निरन्तर बढ़ रहा है। कृषि शोध एवं प्रसार के पुर्नगठन को कृषि नीति में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

### 2) बेहतर जल एवं जलनिकासी प्रबन्धन

कृषि में पानी का सबसे अधिक उपयोग होता है। उद्योग एवं घरेलू उपयोग के लिए जल में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जबकि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ रही है, सिंचाई की उत्पादकता को सुधारे जाने की आवश्यकता है। जल के भू-जल प्रबन्धन तथा उक्त की वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाकर सिंचाई की उत्पादकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक सिंचाई तथा प्रणाली का आधुनिकीकरण किए जाने तथा सिंचाई जल के प्रबन्धन में किसानों एवं अन्य एजेसिन्यों की सहभागिता को समन्वित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी आशंका जतायी गयी है कि जब तक प्रभावशाली ढंग से प्रबन्धन एवं नियंत्रण नहीं किया जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की बढ़ती हुई कमी और भी बदतर होती जायेगी जिससे आपसी राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के मध्य टकराव बढ़ेगा।

बहुतायत मात्रा में खेती के लिए पानी निकाले जाने से भू-जल स्तर में न्यूनता आती है तथा कुछ क्षेत्रों में जलग्रसन भी होता है। इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि कार्यों से भू-क्षरण एवं बढ़ते हुए जल अवशोषण को रोकने तथा अधिक पैदावार एवं फसलों की विविधता के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण फलित होना चाहिए।

नई फसलों की किस्मों तथा तथा कृषि समुन्नत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं प्रसार से सम्बद्ध जलोत्सरण कार्यक्रमों की पहल अपेक्षित है।

### 3) विविधीकरण

उच्चतर मूल्य जिन्सों के लिए विविधीकरण तथा उत्पादकों से शहरी केन्द्रों एवं निर्यात विपणन केन्द्रों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य श्रृंखला का निर्माण, उच्चतर कृषि सकल घरेलू उत्पाद के लिए, विशेष रूप से, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जहां गरीबी अधिक है, अत्यन्त सार्थक हैं। सरकार को विपणन, परिवहन, निर्यात तथा प्रसंस्करण के अवरोधों को समाप्त कर देना चाहिए। दुग्ध डेरी, एक उच्च विकास सामग्री, कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में जो एक चौथाई का योगदान कर रही है तथा भारत के 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है, जो अधिकतर गरीब

हैं तथा महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हैं। दुग्ध उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रभावशाली है तथा दुग्ध के लिये भविष्य की घरेलू मांग में प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है। यद्यपि गायों की कमजोर आनुवांशिक गुणवत्ता, अपर्याप्त पोषण, पशु चिकित्सा देखभाल तथा अन्य कारण दुग्ध उत्पादन में बाधक है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक लक्षित कार्यक्रम अपेक्षित है जो इन अवरोधों का समाधान कर सके।

#### 4) व्यापार प्रतिबन्धों को सुगम बनाना

आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार की प्रतिबन्धात्मक नीतियों के कारण कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन की लागत अधिक हो गई है। यद्यपि कुछ सीमा तक उदारीकरण हुआ है किन्तु विविधीकरण एवं उपभोक्ता मूल्यों को कम कराने के लिए, प्रतिबन्धों को अभी और अधिक सुगम्य बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में सरकार का कृषि में निवेश व्यय पर्याप्त नहीं है। अनुदानों, जो कि इस समय सरकार के बजट निवेश से चार गुना अधिक हैं, को युक्तसंगत बनाकर सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाया जाना चाहिए।

#### 5) ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना

कृषि के विकास के साथ ही ग्रामीण समुदायों को स्वयं सहायता समूह निर्माण, सामुदायिक बचत को बढ़ाना तथा आय एवं रोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय पहल जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर आत्म निर्भर बनाया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूह महिलाओं एवं गरीब परिवारों तक पहुँचने में विशेषरूप से सफल हैं।

### III. ग्रामीण साख परिदृश्य

जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साख के प्रवाह में विगत एक दशक में प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि सूचना अंकित की गई है:—

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ ₹में)	उपलब्धि (करोड़ ₹में)
2004-05	105000	125309
2005-06	141000	180486
2006-07	175000	229400
2007-08	225000	254658
2008-09	280000	287149
2009-10	325000	384514
2010-11	375000	468291
2011-12	475000	510029
2012-13	575000	607375
2013-14	700000	735000 (अनुमानित)

वर्ष 2013-14 में कुल कृषि साख का 75 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा अवशेष अंश में 15 प्रतिशत सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा योगदान किया गया। हालांकि साख में उक्त दर्ज किया विकास शायद ही क्षेत्र में परिलक्षित हुआ है। लगभग 1540 लाख कृषि परिवार सामान्य साख प्रणाली की सुविधाओं से वंचित हैं। साधारण किसान अभी भी बैंकिंग प्रणाली से ऋण पाने में कठिनाई अनुभव करता है। बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में सही अर्थों में कोई भी कृषि के लिए ऋण प्रवाह के लिए दिये गए आंकड़ों की परिशुद्धता पर संदेह कर सकता है। वास्तव में, कृषि ऋण देने के रूप में बैंकों द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों की प्रामाणिकता की जांच भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड/वित्तीय सेवाओं के विभागों सहित किसी भी स्तर पर की जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

कृषि ऋण प्रदान कराने में वाणिज्यिक बैंको के आंकड़ों के वर्चस्व के बावजूद, सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत ऋणी किसानों की साख का स्रोत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि ऋण में कुल ऋण का 10 प्रतिशत तथा कुल ऋणी कृषकों का 20 प्रतिशत का अंश प्रदान करते हुए अपने योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वस्तुतः सहकारी संस्थायें एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साथ कृषि परिवारों के ऋण का लगभग 80 प्रतिशत ऋण आच्छादित करते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अवशेष मात्र 20 प्रतिशत किसानों के ऋण वित्त पोषित किये जाते हैं। स्पष्ट रूप से, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये जा रहे प्रत्यक्ष ऋण उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से काफी कम होने चाहिये। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण की अति गणना के कारण ग्रामीण साख में सरकारी नीतियों को दूषित किया है तथा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों में सहकारी संस्थाओं के महत्व को उग्रता से कम किया है।

कृषि साख में अन्य मुख्य मुद्दा 90 के दशक के बाद से कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में भारी कमी है। इसने कृषि में पूँजी निर्माण की गति को विशेष रूप से धीमा कर दिया है। कृषि में सार्वजनिक निवेश का अंश मात्र 25 प्रतिशत होने पर इस क्षेत्र में अधिकांश निवेश, व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त कराये गये बैंक ऋणों के माध्यम से होता है। पिछले पांच वर्षों में कृषि में कुल पूँजी निर्माण की औसत दर 15 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति से समायोजित करने पर उसके आधे तक नीचे है। वास्तविक रूप में, कृषि में पूँजी निर्माण अवमुल्यित सम्पत्तियों की स्थानापन्न आवश्यकताओं तक को भी आच्छादित नहीं करती जिससे शुद्ध पूँजी निर्माण नकारात्मक बना रहता है। नकारात्मक शुद्ध पूँजी निर्माण को रोकने हेतु सकल पूँजी निर्माण में अतिरिक्त 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। तथापि सरकार की नीतियां सुधार की अपेक्षाओं से अभी भी अत्यधिक प्रतिकूल हैं। सर्वप्रथम, सरकार सहकारी दीर्घकालीन साख संरचना, जो किसानों के निवेश साख की विशेष संस्था है, की सम्भाव्य भूमिका की निरन्तर उपेक्षा कर रही है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनर्निमाण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिससे किसानों को उनकी दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को वैद्यनाथन टास्क फोर्स-11 द्वारा संस्तुत दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार पैकेज को बिना कोई विलम्ब किये लागू कर देना चाहिए।

निवेश ऋण पर देय ऊँची ब्याज दर एक अन्य मुद्दा है जिसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने फसली ऋण की दर को वहननीय सस्ती दर पर बनाये रखने का निर्णय लिया है। ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट के बाद फसली ऋण पर अधिकतम देय ब्याज 4 प्रतिशत वार्षिक है। राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त छूट दिये जाने के बाद फसली ऋण अब कुछ राज्यों में शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। तथापि शायद ही इनमें से कोई भी उपाय कृषि निवेश के लिये दिये जाने वाले ऋण हेतु कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिए प्रदान किये गये हैं। नाबार्ड का बैंकों को निवेश साख हेतु पुर्नवित्त सहयोग लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर है जिससे अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर ऋण की लागत 13-14 प्रतिशत वार्षिक होती है। फसली ऋण एवं तथा निवेश ऋण में विशाल अन्तर कृषि निवेश के लिये प्रमुख निरुत्साहक है। सरकार को कृषि ऋण के अन्तर्गत निवेश ऋण पर भी ब्याज में छूट दिये जाने की योजना को लागू करना चाहिए।

कृषि हेतु वित्त पोषण करने, विशेष रूप से वर्षा सिंचित स्थितियों में, जिसमें कुल कृषिगत क्षेत्र का 63 प्रतिशत आता है, उच्च जोखिम में शामिल है। वर्तमान में, कृषि वित्त पोषण में सम्मिलित सम्पूर्ण जोखिम ऋण प्रदान कराने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनके पास उच्चस्तरीय एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) होती हैं। सहकारी साख संरचना में बड़ी संख्या की संस्थाओं जिनमें एआरडीबैंक्स सम्मिलित हैं, जो छोटे और सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, की एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) सहनीय स्तर से परे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई ऋण माफी योजनायें, जिनसे केवल अपचारी/कर्तव्य भ्रष्ट/हठी बकायेदार लाभान्वित हुये हैं ने आगे भी ऋण वसूली की जलवायु को बिगाड़ दिया है। सरकार द्वारा कृषि बीमा हेतु किसानों का सहयोग फसल बीमा के अलावा कृषि सम्पत्तियों के लिये भी बढ़ाया जाना चाहिये। सरकार को उन कार्यवाहियों से दूर रहना चाहिये जिनके कारण ऋण वसूली वातावरण दूषित हुआ तथा ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संस्थागत वित्त का बहुत बड़ा भाग भारत के दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के कुछ विकसित राज्यों को जाता है। परिणामस्वरूप, पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी राज्य जहां कृषि विकास की वृहद सम्भावनायें हैं, को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पा रहा है। अनेक क्षेत्रों के मध्य, साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों के बीच साख के विषम वितरण को होना, ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का एक दूसरा अहम मुद्दा है।

#### IV. सहकारी दीर्घकालीन साख संरचना – विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई – अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक। दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु, दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण

पत्र निर्गमन को केन्द्रीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 40 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से नवाज़ा गया तथा 1990 में इन्हें ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एसएआरडी बैंकों ने 60 एवं 70 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रीकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 80 तथा 90 के दशक में कृषि कार्य में पूँजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसरों दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में या तो निचले स्तर पर अपनी शाखाओं अथवा राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों से संचालित 19 राज्यों के एससीएआरडी बैंक सम्मिलित हैं। एक समन्वित संरचना बनाने हेतु 1955 में आंध्र प्रदेश एससीएआरडी बैंक का विलय आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से कर दिया गया। 1960 के बाद बने राज्यों में अधिकतर राज्यों में दीर्घ कालीन साख के लिए पृथक संरचना के अभाव में, राज्य सहकारी बैंक ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश साख से सम्बन्धित क्रिया कलापों का भी संचालन करते हैं।

### **दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) के मुद्दे एवं चुनौतियां**

एलटीसीसीएस को एक गैर स्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य एवं प्राथमिक कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इन्हें अपने ऋण वितरण कार्यों के लिये भारी मात्रा में उधार के कोष पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यों के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यों के

दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिझर्व बैंक के कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्रोत है। तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनै शनै घटता जा रहा है। इससे एससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को निलम्बित करना पड़ा।

दीर्घ कालिक ऋण लेने वालों की अल्प अवधि उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थता, एआरडी बैंकों के कार्य संचालन की एक और प्रमुख कमी है। अधिनियम में प्रतिबन्ध के कारण, सामान्यतया एससीएआरडी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण के लिये स्वयं को विविधीकृत करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। हाल के वर्षों में, अधिकतर राज्यों में एआरडी बैंक सदस्यों की जमा एवं एनसीडीसी तथा बैंकिंग व्यवस्था से संयोजित निजी संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण-प्राप्तकर्ताओं की अल्पकालिक ऋणों की मांग को भी पूरा कर रहे हैं।

भारी बकाया तथा शासकीय प्रायोजित योजनाओं में हानियां, अपने लेन-देन तथा जोखिम लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अवधि तथा 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन तथा योजना के अन्तर्गत ऋणों की पूर्ण प्रतिपूर्ति किये बिना ऋणों को खारिज करने के कारण दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं की वित्तीय उपलब्धियों में 90 के दशक से गिरावट आना प्रारम्भ हो चुका था। वस्तुतः उपर्युक्त कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) को भी वित्तीय हानियां उठानी पड़ीं। जब कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) का क्षतिपूरण सरकार द्वारा 1990 में प्रारम्भ की गई सुधार प्रक्रिया में वैद्यनाथन समिति द्वारा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंको और उसके बाद 2006 में एसटीसीसीएस को किया जा चुका है, एलटीसीसीएस के लिये वीटीएफ- II के द्वारा संस्तुत पैकेज का क्रियान्वयन अभी भी लम्बित है।

पुनरुद्धार पैकेज के लागू करने में अनपेक्षित विलम्ब ने संरचना की अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद संरचना-स्वरूप प्रासंगिक बना हुआ है तथा कुल कृषि ऋण के प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में तेजी से आ रही गिरावट को रोकने के लिए इसको पुर्नजीवित किये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार के लिए एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों

को कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण संकेन्द्रित प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में आत्म निर्भर, सदस्य संचालित, प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवायें देने में सक्षम संगठन के रूप में रूपान्तरित किया जाना सम्मिलित है।

## V. वर्ष 2013-14 के दौरान फेडरेशन

वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन (एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अपनी स्थापना के बाद फेडरेशन ने इस क्षेत्र की संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसने प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंकों के मध्य आपसी समझ को प्रोत्साहित किया है तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार, नाबार्ड एवं एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा है।

फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में – संगोष्ठियों एवं कार्य शालाओं का आयोजन, अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना है। गत 54 वर्षों से फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जरनल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नई विकास परियोजनाओं की पहचान तथा निर्माण के साथ साथ पूर्ण की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2013-14 में फेडरेशन की गतिविधियों के महत्व वाले क्षेत्र थे :-

- (i) पुनरुद्धार पैकेज तथा सुधारों के क्रियान्वयन के लिए शासन व सरकार से पैरवी करना।
- (ii) सुधार की पहल में एससीएआरडी बैंकों का मार्गदर्शन करना।
- (iii) सदस्य बैंको को संसाधन जुटाने, वसूली प्रबन्धन तथा व्यापार संवर्धन व विविधीकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना।

### पैरवी करना

वर्ष के दौरान पुनरुद्धार पैकेज की मांग पैरवी अभियान का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बनी रही। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006 में की गई थी। भारत सरकार ने अपने 2008-09 के बजट में इसके क्रियान्वयन की घोषणा भी की थी तथा केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन फरवरी 2009 में कर दिया था। फिर भी पुनरुत्थान सहयोग के लिए संरचना की

अपेक्षाएं सरकार एवं मंत्रि मण्डल द्वारा अनुमोदित पैकेज को लागू करने में वित्त मंत्रालय लगाये गये अवरोधों की श्रृंखला से निरोत्साहित हुई। प्रथमतः, मंत्रालय ने मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना के पुनरीक्षण के लिये दूसरी टास्क फोर्स के गठन का अनुचित प्रस्ताव रखा। नए टास्क फोर्स द्वारा फरवरी 2010 में पैकेज का समर्थन करने तथा लागू किए जाने की सिफारिश किये जाने के बाद भी मंत्रालय ने एलटीसीसीएस के एसटीसीसीएस में विलय, जो न तो वीटीएफ-11 द्वारा प्रस्तावित की गई थी और न ही मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना में सामने लाई गई थी, प्रस्तावित करते हुए विलम्ब करते रहने की नीति जारी रखी तथा बाद में निष्कर्ष दिया गया कि संरचना के कृषि में ऋण प्रवाह के नगण्य योगदान की दृष्टि से पुनरुत्थान पैकेज दिया जाना सुसंगत नहीं है। इस संरचना को अपनी बाजारी हिस्सेदारी बनाये रखने के लिये दिये गये अवसर को नकारने के बाद, जो कि 90 के दशक में लगभग 20 प्रतिशत था, और लगातार 8 वर्षों तक लटकाये रखना, पुनरुत्थान सहयोग को नगण्य बाजारी हिस्सेदारी के आधार पर नकार देना न्यायोचित नहीं है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादकता की दर में गिरावट के रुझान 90 के दशक के बाद से इस क्षेत्र के पूँजी निर्माण में भारी गिरावट के कारण हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों जैसे कि विनियमित ब्याज दरें, बड़े पैमाने पर सरकार की प्रायोजित योजनाओं में ऋण वितरण के कारण बढ़े अति देय, 1990 में केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन, तथा 1990 तथा उसके बाद अनेक राज्य सरकारों की ऋण माफी योजनायें में दिये गये ऋणों की बिना क्षतिपूर्ति पाये उन्हें खारिज किया जाने के कारण हुई हानि से एआरडी बैंकों के बाजारी शेयर गिर रहे थे।

दीर्घकालीन साख संरचना जिसका नेटवर्क 2600 है यदि पुनरुत्थान किया जाता है तो परिव्यय में वार्षिक ऋण वितरण को ₹5000 करोड़ के वर्तमान स्तर से थोड़े समय में ही कम से कम पांच गुना बढ़ाने की क्षमता है।

फेडरेशन की पहल पर दोनों संसद के सदनों के 16 सांसद जो विभिन्न राज्यों में एलटीसीसीएस से जुड़े हैं, के साथ दिनांक 25 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में एआरडी बैंकों की कार्यप्रणाली मुद्दों पर चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य सभा के उपाध्यक्ष प्रो. पी.जे.कुरियन ने की जिसमें फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं एससीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी सांसद अपने विचारों में एक मत थे कि एलटीसीसीएस के लिये पुनरुद्धार पैकेज, जिसे मन्त्रिमण्डल द्वारा फरवरी 2009 में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, को लागू करने में अब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। सांसदों व वक्ताओं ने इस अवसर पर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में एआरडीबैंकों की प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने नाबार्ड की कुछ नीतियों, विशेषरूप से आर्थिक रूप से कमजोर बैंकों से ऊँची ब्याज दर लिये जाने की भी आलोचना की। उपर्युक्त बैठक के उपरान्त सांसदों ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को पुनरुद्धार पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये तथा किसानों की फसली ऋण पर ब्याज अनुदान योजना का विस्तार एआरडी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले कृषकों को भी किये जाने की अपील के साथ, संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों को संसद में उठाया जायेगा।

प्रोफेसर कुरियन उपाध्यक्ष राज्यसभा, जिन्होंने पहले एलटीसीसीएस से सम्बद्ध सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की थी, के नेतृत्व में फेडरेशन से एक प्रतिनिधि मण्डल ने दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दिनांक 30 अगस्त 2013 को माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से भेंट की। प्रतिनिधि मण्डल में श्री के शिवदासन नायर, अध्यक्ष, श्री के.एस.भटोल, उपाध्यक्ष, श्री दलीप सिंह, निदेशक तथा श्री के.के.रवीन्द्रन प्रबन्ध निदेशक भी सम्मिलित हुए। प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमंत्री को एलटीसीसीएस में निम्नांकित मुद्दों के बारे में अवगत कराया :-

- (i) एलटीसीसीएस के लिये वीटीएफ- II द्वारा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज जिसकी घोषणा 2008-09 के केन्द्रीय बजट में की गई थी तथा फरवरी 2009 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था, को लागू करने में असाधारण देरी।
- (ii) किसानों द्वारा 14 प्रतिशत वार्षिक अथवा उससे अधिक की ऊँची ब्याज दर पर लिए गए दीर्घ कालीन कृषि ऋणों को फसली ऋणों पर लागू ब्याज अनुदान योजना का विस्तार के द्वारा निवेश ऋणों पर लागू कर ब्याज दर नीचे लाने की आवश्यकता।
- (iii) भारत सरकार की फसली ऋणों पर लागू ब्याज अनुदान योजना का उन कृषकों के लिए विस्तारित किया जाना जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

प्रधान मंत्री ने धैर्य एवं सहानुभूति के साथ प्रतिनिधि मण्डल को सुना तथा मामले को वित्त मंत्रालय को अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये भेजने का आश्वासन दिया।

फेडरेशन के बोर्ड ने पटना में आयोजित अपनी बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2013 में पुनरुद्धार पैकेज के लिए पैरवी व प्रयास तेज करने और सरकार के साथ अन्य लम्बित मुद्दों को हल करने के लिए, आम चुनाव जो अप्रैल-मई 2014 में निर्धारित हैं, के बाद तुरन्त संसदीय फोरम को पुनर्गठित कराये जाने का निर्णय लिया।

### सुधार की पहल

वीटीएफ- II ने देखा कि एक ही व्यवसाय तक परिसीमित ऋण व्यवसाय तथा निजी संसाधनों का अभाव इस संरचना की मुख्य कमज़ोरियां हैं। एआरडी बैंको को एक बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 के अन्तर्गत लाने के प्रश्न को टास्क फोर्स ने उल्लेखित किया और तर्क में उत्कृष्टता पायी कि यह इन कमज़ोरियों को पता करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। तथापि टास्क फोर्स ने अनुभव किया कि उनके लिये सुझाव देना अनुपयुक्त होगा जिस पर कि नियामक के विशेषाधिकारों को टकराना पड़े और पाया कि वर्तमान आज की तिथि में अथवा भविष्य में इस संरचना की कोई संस्था बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने की आवश्यक शर्तों को पूरा करती है, बैंकिंग नियामक उसकी योग्यता पर विचार कर सकता है। फिर भी, टास्क फोर्स ने नाबार्ड के पुर्नवित्त से पृथक संरचना हेतु संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नांकित संस्तुतियां की हैं:-

- 1 बाजार सूत्रों के व्यापक क्षेत्र का दोहन करने के लिए एससीएआरडी बैंकों को उपयुक्त नियामक व्यवस्था के अन्तर्गत जनता के सावधि जमा करने की स्वतंत्रता और लचीलापन तथा अपनी ऋण वितरण नीतियों तथा निवेश संयोजन का निर्धारण करने हेतु व्यापक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- 2 एआरडी बैंको को भी, पीएसीएस (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) की तरह जमाकर्ताओं को पूर्ण मताधिकार दिये जाने के साथ, सदस्यों से जमा लेना चाहिए।

यद्यपि पुनरुद्धार पैकेज के पुनर्पूँजीकरण वाले भाग के कार्यान्वयन के लिये अभी अनुमति नहीं दी गई है, वीटीएफ की एआरडी बैंकों की योजना एवं संचालन सम्बन्धी संस्तुतियों के लागू किये जाने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, विशेषरूप से तब जब कि सरकार पहले ही इसकी संस्तुतियों का सैद्धान्तिक अनुमोदन कर चुकी है। नाबार्ड, जो कि टास्क फोर्स की संस्तुतियों के कार्यान्वयन कराने के लिये एक केन्द्रक अभिकरण है, को एससीएआरडी बैंकों को इन संस्तुतियों के आधार पर सरकार द्वारा संरचना को पुनर्पूँजीकरण की सुविधा दिये जाने पर विचार किये बिना ही सार्वजनिक जमा संग्रहण कराने हेतु इस योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिये कदम उठाना चाहिए।

इसी तरह, जैसा कि वैद्यनाथन टास्कफोर्स-।। ने सुझाव दिया है, भारतीय रिज़र्व बैंक को इसे अंतिम रूप दे देना चाहिए तथा इन संस्थाओं द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये शर्तों की घोषणा करनी चाहिए। फेडरेशन ने निम्नांकित क्षेत्रों पर दबाव बनाते हुए सुधारों के लिए संरचना द्वारा आंतरिक पहल का एक अभियान चलाया है:-

- (i) संसाधनों को जुटाना।
- (ii) सदस्यों की कृषि एवं गैर कृषि उद्देश्यों हेतु अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण उत्पादों को प्रस्तुत करना।
- (iii) ऋण अदायगी एवं वसूली प्रक्रिया को सुधारना।

एससीएआरडी बैंकों में 'सुधार पहल के लिए मूल समूह' रूप में कोर ग्रुप संविधान (सीजीआरआई) की संरचना इस अभियान का महत्वपूर्ण उपाय था। सीजीआरआई के लिए दिशा निर्देश 20 दिसम्बर 2012 को जारी किये गये थे। अधिकतर एससीएआरडी बैंकों ने वर्ष 2013-14 के दौरान एससीएआरडी बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता तथा बैंक के प्रबन्ध निदेशक को संयोजक मानते हुये सीजीआरआई का गठन कर लिया है। बैंक के दो निदेशक, बैंकिंग तथा वित्त में निपुणता युक्त दो बाह्य विशेषज्ञ तथा अन्य सदस्यों में क्रियाशील विभागों के प्रभारी एससीएआरडी बैंकों के प्रबन्धकारी वर्ग सम्मिलित हैं। फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीजीआरआई की त्रैमासिक बैठकों में विशेष आमंत्रित अतिथि हैं। बैठकों के प्रत्येक चक्र के लिए फेडरेशन ने कार्यसूची पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अधिकांश राज्यों ने मार्च 2014 तक सीजीआरआई की त्रैमासिक बैठकों के तीन चक्र पूरे कर लिए हैं। इन बैठकों में प्रमुखतः उन

उपायों पर विचार किया गया जो एससीएआरडी बैंके स्वतः कर सकती हों, जिन क्षेत्रों में सरकार अथवा नाबार्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सीजीआरआई बैठक में निर्णीत महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

### संसाधनों का संग्रहण

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित जमा योजना के माध्यम से सदस्यों से जमा का संग्रहण करना।
- सभी ऋणी सदस्यों के अनिवार्य बचत जमा खाता आरम्भ कराना, वाणिज्यिक बैंकों, अल्पकालीन साख संरचना तथा एनसीडीसी को संस्थागत ऋण के लिए व्यापक पथ प्रदान करना।
- राज्य सरकारों से नाबार्ड के अतिरिक्त एनसीडीसी तथा वाणिज्यिक बैंकों के लिये भी शासकीय गारण्टी को बढ़ाने के लिये सम्पर्क करना।

### ऋण वसूली

- वार्षिक किस्तों के स्थान पर मासिक / त्रैमासिक किस्तों की देय तिथि का निर्धारण कर ऋण अदायगी प्रणाली को सुधारना।
- वित्त पोषित परिसम्पत्ति की उच्चतम उपलब्धि अवधि के दौरान तथा बाद के वर्षों में अपेक्षाकृत कम मूल्य की किस्त निर्धारित करना जब कि उपज कम हो तथा रखरखाव एवं मरम्मत की लागत बढ़ी हो, की स्थिति में समीकत / बराबर किस्तों के स्थान पर क्रमवर्धी किस्तों को आरम्भ करने की सुविधा प्रदान करना।
- समय से देय वसूली मांग की सूचना प्रेषित करना, एसएमएस, दूरभाष आदि के द्वारा देय तिथि की स्मृरण कराने द्वारा नियत तिथि से पूर्व आगे की कार्यवाही को सुदृढ़ करना।
- विधिक सलाहकारों के बैंक के पैनल में बाह्य स्रोत के विधिक फर्मों द्वारा विधिक वसूली प्रक्रिया के अनुसार वसूली के बाद की आगे की कार्यवाही को सुदृढ़ करना।
- अल्पकालीन ऋण उत्पादों जैसे कि निवेश ऋण के त्वरित अदायगी करने वाले कृषकों को नगद ऋण, आभूषणों पर ऋण, व्यापार ऋण, कर्मचारी ऋण आदि को प्रारम्भ करना।
- ऋणी के साथ सम्पर्क की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए जिससे कि ऋण की वसूली पर अनुकूल प्रभाव पड़े, अल्पकालीन ऋणों और बचत जमा खातों को आरम्भ करना।

शीर्ष एवं प्राथमिक स्तरों पर ऋण बकाये के मध्य असन्तुलन संघीय एससीएआरडी बैंको के समक्ष एक आम समस्या है। असन्तुलन से शीर्ष बैंक के तुलन पत्र तथा डीसीबी अवास्तविक हो जाते हैं क्योंकि प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों से उनको प्राप्य राशियां प्राथमिक स्तर पर परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। एकबार

घटित हुआ असंतुलन का बढ़ना बाध्यता है क्योंकि प्राथमिक बैंक द्वारा मूलधन वसूली का कुछ भाग शीर्ष बैंक को ब्याज का भुगतान किये जाने के लिए प्रयुक्त होता है परिणामस्वरूप शीर्ष बैंक के बकाया उधार राशियों में कमी हो जाने से, इसके बकाया ऋण में कमी हो जाती है। जब तक कि इसे रोकने के विशेष प्रयास नहीं किये जाते, असन्तुलन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता तथा प्राथमिक बैंक को पतन से नहीं बचाया जा सकता। सीजीआरआई ने इसी संदर्भ में एक संस्तुति की है कि शीर्ष की अतिरिक्त ऋण बकाया को अवरुद्ध करने के साथ साथ अतिरिक्त मांग को प्राथमिक बैंक के साथ ही एक पृथक प्राप्य राशियों वाले खाते जिसका निस्तारण आगामी समयावधि में परस्पर सहमति की शर्तों पर प्राथमिक एवं शीर्ष के लाभ से किया जाये।

अदायगी के परिप्रेक्ष्य में ऋणी सदस्य द्वारा चालू मांग के बराबर अथवा उससे अधिक के नियमित ऋण अदायगी के बावजूद लचीलेपन के अभाव बड़ी संख्या में ऋण खातों को गैर निष्पादित अस्तियों के रूप में वर्गीकरण किये जाने के लिये विवश करता है। 10 से 15 वर्ष की लम्बी अवधि में किसी एक वर्ष में नियंत्रण से परे परिस्थिति वश यथा, बुरे फसल वर्ष अथवा परिवार में अप्रत्याशित व्यय करने बाध्यता से पूरे कार्यकाल के अन्य सभी बार में चालू मांग के सापेक्ष नियमित रूप से ऋण अदायगी के बावजूद एक ऋण गैर निष्पादित अस्तियों की श्रेणी में आ जाता है। ऋण की शेष अवधि में इन खातों में अदत्त अवशेष के पुर्ननिर्धारण तथा पात्र प्रकरणों में यदि आवश्यकता हुई तो ऋण अवधि का विस्तार करने के लिये अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर के ऋण खाते के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया। एससीएआरडी बैंकों ने यह भी सुझाव दिया जाता है कि वह स्वेच्छाचारी बकाए(दारों) के परिप्रेक्ष्य में विधिक वसूली उपायों के लिये एक समान नीति का अनुसरण करें। फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार, मासिक/त्रैमासिक किस्तों के कुछ भाग को भी दो वर्षों तक लगातार भुगतान करने में असफल होने को स्वेच्छाचारी बकाया माना गया है। ऐसे सभी प्रकरणों में विधिक वसूली उपायों की पहल की जानी चाहिए। प्राथमिक/शाखा स्तर पर कर्मियों की कमी के कारण अधिकांश बैंक समय पर विधिक कार्यवाही कर पाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे मामलों में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों/शाखाओं को सम्पत्ति के विक्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न नोटस जारी करने सहित कागज़ी कार्यवाही के लिए बाह्य स्रोतों के विधिक सलाहकारों की सेवायें लेने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए एससीएआरडी बैंकों को विधिक सलाहकारों के लिये निम्नानुसार पारिश्रमिक निर्धारित करने का परामर्श दिया गया।:-

(ए) ऋण खाते में ₹. 1.00 लाख तक के बकाया शेष पर — ₹. 1,000.00

(बी) ऋण खाते में ₹. 1.00 लाख से अधिक के बकाया शेष पर — ₹. 2,000.00

पीसीएआरडी बैंकों तथा एससीएआरडी बैंकों के कार्यालय/शाखाओं के संजाल (नेटवर्क) के माध्यम से नीलामी में भाग लेने वाले अन्य क्षेत्रों के इच्छुक व्यक्तियों की व्यवस्था एवं पहचान करने के लिये तथा ऐसे व्यक्तियों को भूमि क्रय करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की पेशकश हेतु प्रतिभूत सम्पत्ति की नीलामी

प्रक्रिया के राज्यव्यापी प्रचार का भी निर्णय लिया गया।

एससीएआरडी बैंकों ने अपनी लाभप्रदता में सुधार के लिए निम्नांकित कदम भी उठाए हैं :-

- (i) पुर्नवित्त की वास्तविक लागत पर आधारित ऋणों पर ब्याज का एकमुश्त संशोधन।
- (ii) एससीएआरडी बैंकों के बकाया पड़ने पर जैसा कि नाबार्ड द्वारा किया जाता है तदनुसार एक ही दर पर बकाया ब्याज पर ब्याज की वसूली।

एससीएआरडी बैंकों को निर्दिष्ट आधारित बीमा उत्पादों की बिक्री तथा अभिलेखों के ई-मुद्रांकन के लिये लाइसेन्स लेने जैसे गैर निधि आधारित व्यवसाय करने का भी परामर्श दिया गया। कर्नाटक में एआरडी बैंक पहले से ही उल्लेखनीय सफलता के साथ इन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी हैं। बैंकों ने व्यापार विकास योजना बनाने तथा ऋण नीतियों पर नियम-संग्रह को अद्यतन करने, वसूली नीतियां, लेखांकन नीतियां आदि जो कि सीजीआरआई के द्वितीय चक्र में निर्णीत की गई, पर भी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

### राज्य सरकारों के साथ वचनबद्धता

जबकि अधिकांश राज्यों में एआरडीबैंक आत्म प्रेरित सुधारों से अपनी कार्यप्रणाली को उत्कृष्ट बना सकते हैं, बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता तथा संवृद्धि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विधिक एवं नीतिगत सुधारों पर आश्रित है। सितम्बर 2012 में फेडरेशन द्वारा आयोजित सहकारिता के प्रमुख सचिवों का सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। सम्मेलन में एआरडी बैंकों से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की गई तथा अनेक राज्यों में वांछित विधिक एवं नीतिगत सुधारों वाले क्षेत्रों की भी पहचान की गई। यह देखा गया कि एआरडीबैंक अधिनियम/एआरडी बैंकों से सम्बन्धित राज्य सहकारी समितियों अधिनियम में प्रावधानों में, कुछ राज्यों में, अल्पकालीन अवधि के साथ साथ अकृषि क्षेत्र में, भूमि के अलावा अन्य प्रतिभूति के साथ व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर ऋण देने, ऋणी एवं एआरडी बैंक के मध्य निष्पादित ऋण अभिलेखों को बैंक द्वारा सीधे सब रजिस्ट्री कार्यालय में संचरण की सुविधा आदि कार्यों के लिये, संशोधन की आवश्यकता है। इनमें से अधिकांश अधिनियमों में संविधान के 97वें संशोधन विधेयक में सहकारी समितियों से सम्बन्धित प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिये संशोधन किया जाना आवश्यक है। कुछ राज्य सरकारों को गारण्टी शुल्क को नामिक छोड़ने/रखने से, ऋण अभिलेखों के पंजीयन के लिये स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण प्रभार को छोड़ने, वार्षिक प्रत्याभूत (एनुअल गारण्टी) के स्थान पर थोक प्रत्याभूत (ब्लॉकगारण्टी) इत्यादि, से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय लेना भी आवश्यक है।

कृषि ऋणों की वसूली से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियां, एक दूसरा क्षेत्र जो उल्लेखनीय रूप से एआरडी बैंकों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। अधिकतर राज्यों में एससीएआरडी बैंक त्वरित ऋण अदायगी के लिये ब्याज अनुदान के माध्यम से ऋण वसूली में, संकटग्रस्त किसानों के लिये राहत योजनायें जिनमें छूट/एक मुश्त

समाधान योजनाये सम्मिलित हैं, राज्य/जनपद स्तरीय शासन के अधिकारियों द्वारा एआरडी बैंकों की ऋण वसूली स्थिति की समीक्षा तथा वसूली अभियान में सरकारी तंत्र की भागीदारी के द्वारा राज्य सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हैं। तथापि एआरडीबैंक वसूली प्रक्रिया में उत्पीड़क ऋण वसूली उपायों को प्रतिबन्धित करने के माध्यम से राज्य सरकारों का हस्तक्षेप भी अनुभव करते हैं। इसके कारण कुछ राज्यों में स्वेच्छाचारी बकाये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वास्तव में, एआरडीबैंक केवल स्वेच्छाचारी बकायेदारों के मामलों में ही ऋण के प्रतिभूत के रूप में प्राप्त भूमि के भूमि विक्रय का सहारा लेती हैं। बैंकों को, वसूली की स्वस्थ जलवायु बनाये रखने के लिये, स्वेच्छाचारी बकायेदारों के विरुद्ध विधिक वसूली कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये असीमित स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वसूली कार्यनिष्पादन उपलब्धि एआरडी बैंकों के वित्तीय स्थिति को सही बनाये रखने के तथा मूल्यांकन के साथ साथ नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करने के लिए मुख्य कारक है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा ऋण वसूली हेतु विधिक वसूली उपायों पर कार्यवाही किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण, पहले से ही निष्क्रिय हो चुकी है। फेडरेशन राज्य सरकारों के साथ ऋण वसूली के वातावरण को दूषित करने वाली घोषणाओं से दूर रहने के प्रावधानों सहित कृषि ऋण नीति विकसित करने हेतु विचार विमर्श कर रहा है। सहकारिता के प्रमुख सचिवों के सम्मेलन में यह भी विचार-विमर्श का एक महत्व वाला क्षेत्र है। दिनांक 20 मार्च 2014 की बोर्ड की 142वी बैठक में प्रथम सम्मेलन की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा तथा एलटीसीसीएस में सुधारों में तीव्रता के लिये आगामी उपायों पर विचार विमर्श हेतु सहकारिता के प्रमुख सचिवों का द्वितीय सम्मेलन आगामी माह नवम्बर/दिसम्बर 2014 में आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

### नाबार्ड के साथ वचनबद्धता

नाबार्ड एवं एआरडी बैंक परम्परागत रूप से परस्पर एक विशेष सम्बन्ध रखते हैं। एलटीसीसीएस की संसाधनों आवश्यकता को पूरा करने के अतिरिक्त नाबार्ड इस संरचना को सुचारु रूप से संस्थागत सुदृढीकरण तथा विकास सहयोग भी प्रदान करा रहा था। जेएलटीसी को सहायता, अनेक उद्देश्यों के लिये सीडीएफ से सहयोग-कम्प्यूट्रीकरण, कृषि एवं अकृषि परियोजनाओं हेतु तकनीकी प्रकोष्ठों के गठन के लिए आर एण्ड डी कोष से सहायता आदि, कुछ ऐसे ही विकासात्मक सहयोग हैं जो नाबार्ड द्वारा एआरडी बैंकों को दिए गये। जहां तक पुर्नवित्त के भी मामले का सम्बन्ध है, इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि एआरडीबैंक गैर संसाधन आधारित संस्थां हैं, नाबार्ड ने कृषि पुर्नवित्त विकास निगम की नीतियों को जारी रखते हुए एलटीसीसीएस को विशेष सुविधा प्रदान की जिसके अन्तर्गत एआरडी बैंकों को अपनी पुर्नवित्त की अदायगी से दो वर्ष कम की ऋण अवधि पर निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस सुविधा ने एआरडी बैंकों को, किसानों को दिये गये ऋण में अपरिहार्य परिस्थितियों में बकाया पड़ जाने के बावजूद पर्याप्त तरलता बनाये रखने में मदद की। उसीप्रकार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से अन्य उद्देश्यों के लिये पुर्नवित्त आहरण व्यवस्था में 5 से 10 प्रतिशत कमी के साथ अकृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में महत्व वाले क्षेत्र के लिये, 100 प्रतिशत पुर्नवित्त दिया जाता था। नाबार्ड ने भी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अर्द्धवार्षिक

सम्मेलन के फोरम के माध्यम से तथा सदस्य बैंकों के लिये फेडरेशन द्वारा आयोजित इसके वरिष्ठ अधिकारियों को फेडरेशन के बोर्ड की तिमाही बैठकों एवं संगोष्ठियों व सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकृत कर फेडरेशन एवं एससीएआरडीबैंकों के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने की नीति को पोषित किया। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में, संरचना में संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर अनर्थकारी प्रभाव के साथ 135 लाख ग्रामीण परिवारों, जो संस्था के सदस्य हैं, को ऋण उपलब्धता पर इन नीतियों का सुनियोजित व्युत्क्रमण हुआ। वर्ष 2011-12 से पुर्नवित्त की मात्रा लगभग 97 प्रतिशत से घटकर 90 प्रतिशत रह गई है। इसके साथ ही पुर्नवित्त में कमी की दिशा में राज्य एवं केन्द्र सरकार के योगदान को मदद देने की व्यवस्था को भी रोक दिया गया। पुर्नवित्त के अदायगी की अवधि की तुलना में ऋणों के लिये अदायगी की छोटी अवधि निर्धारित किये जाने की पूर्व प्रदत्त सुविधा वापस ले ली गई। अगस्त 2011 से लागू नई नीतियों के अन्तर्गत केवल दो एससीएआरडी बैंक जिन्हें कम जोखिम में वर्गीकृत किया गया है, नाबार्ड से निश्चित पुर्नवित्त दिया गया। अन्य एससीएआरडी बैंकों को सरकार की गारण्टी दिये जाने तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के उपरान्त भी उन्हें या तो पुर्नवित्त नहीं दिया गया अथवा उनके द्वारा वर्ष में दिये गये ऋण का एक छोटा भाग पुर्नवित्त के रूप में दिया गया और वह भी एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद। इसके अतिरिक्त, कमजोर बैंकों को जिन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें शासकीय गारण्टी से आक्षादित होने के बावजूद 1 से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष जोखिम लागत के रूप में अतिरिक्त ब्याज देना होगा। नाबार्ड ने एआरडी बैंकों को कम्यूट्रीकरण तथा अन्य उद्देश्यों के दी जाने वाली सहायता पूरी तरह से रोक दी है। 2013-14 में कुछ समय के लिये जेएलटीसी की सहायता भी पूरी तरह रोक दिया गया। यह चौकाने वाला है कि विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के आधार पर देखी और संयोजित तथा अनेक स्तर पर वृहद परामर्श कर तैयार कराई गई नीतियां एवं योजनायें मात्र व्यक्तिगत अवधारणाओं के आधार पर अर्थहीन मान ली गई। इस सम्बन्ध में नीतियों में उपर्युक्त में से कोई परिवर्तन अथवा न ही कोई परामर्श अथवा लागू करनेसे पूर्व ही कोई सूचना दी गई। नाबार्ड द्वारा प्रारम्भ किये गये सुधारों का विगत दो वर्षों में शुद्ध परिणाम इन सभी संस्थाओं को निरन्तर कमजोर बना रहा है।

सौभाग्य से वर्ष 2013-14 के अन्त में, अध्यक्ष स्तर पर नाबार्ड के रक्षक के बदलाव के बाद एससीएआरडी बैंकों के प्रति नाबार्ड के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ फिर भी दो वर्ष पहले आरम्भ की गई आक्रामक नीतियां मे अभी बदलाव होना शेष है। इसकी नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करने वाले एससीएआरडीबैंकों की संख्या 2012-13 में 6 से बढ़ कर 2013-14 में 9 पर पहुँच गई। 2013-14 में एआरडी बैंकों को वितरित पुर्नवित्त की कुल धनराशि में भी पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

फेडरेशन निम्नांकित मुद्दों को उठा रहा है तथा नाबार्ड से बिना विलम्ब किये उन पर अनुकूल निर्णय लिये जाने की अपेक्षा करता है :-

## (1) पुर्नवित्त की मात्रा

- पुर्नवित्त की मात्रा को निर्गत ऋण का 90 प्रतिशत तक कम करने तथा सरकार के योगदान की व्यवस्था को रोकने के कारण एससीएआरडी बैंकों को अवशेष 10 प्रतिशत के लिये दूसरे स्रोत को ढूँढना होगा।
- अधिकांश मामालों में राज्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उच्च लागत अंतरिम वित्त से ऋण निर्गत किये जाते हैं। जब केवल 90 प्रतिशत ही पुर्नवित्त दिया जाता है, ऐसी उधार राशियां पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकती, बैंकों तक के लिये जो वर्तमान में वित्तीय रूप से सुदृढ़ है, पर्याप्त राशि का संचयन कर हानि का कारण तथा तरलता समस्याओं में परेशानी का कारण बनती हैं।
- नाबार्ड को इस समस्या के समाधान के लिये वर्ष 2011-12 में प्रचलित पुर्नवित्त दर को सक्षम बनाने तथा अवशेष कमी में शासकीय योगदान कराने के लिये योगदान पुर्नवित्त स्वीकृत पत्र की प्रतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भेजने की पूर्व पद्धति को पुनः प्रचलन में लाने की आवश्यकता है।

## (2) पुर्नवित्त अदायगी में 2 वर्ष के अनुग्रह अवधि की वापसी

- नाबार्ड ने वर्ष 2011-12 में ऋण की अवधि की ही भांति पुर्नवित्त की अवधि का निर्धारण करना आरम्भ कर दिया। जिससे अपनी पुर्नवित्त अदायगी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये एससीएआरडी बैंकों को अपने ऋणी सदस्यों से शत-प्रतिशत ऋण अदायगी सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा। पहले बैंकों को पुर्नवित्त अदायगी अवधि से अपेक्षाकृत दो वर्ष कम अवधि का निश्चित ऋण अदायगी अवधि के रूप में (अनुग्रह अवधि) की अनुमति प्रदान की गई थी। इस दो वर्ष की अनुग्रह अवधि से उनके अपने स्तर पर बकाया होते हुये भी बिना किसी कठिनाई के बैंक को नाबार्ड की मांग पूरा करने में सक्षम थे।
- नाबार्ड की पुर्नवित्त नीति में अभी हाल में हुये परिवर्तनों में से एक था - एससी एआरडी बैंकों की पुर्नवित्त पात्रता को उनकी विगत वर्ष की सम्प्रेक्षण रिपोर्ट पर आधारित जोखिम मूल्यांकन से जोड़ना। नाबार्ड के पैनल में सनदी लेखाकारों द्वारा सम्प्रेक्षण आख्या पाने में 4 से 6 माह का विलम्ब होता है। फलस्वरूप राज्य सरकार से श्रेणी के अनुमोदन के उपरान्त मध्यम तथा उच्च जोखिम की श्रेणी के एससीएआरडी बैंक के मामले में पुर्नवित्त पात्रता से सम्बन्धित स्थिति जोखिम के मूल्यांकन तथा पुनरुद्धार योजना को अन्तिम रूप देने के उपरान्त केवल तीसरे अथवा चौथे तिमाही सूचना भेजी जा पाती है।
- अपने ऋण वितरण कार्यक्रमों का नियमन करने के लिए उसी आधार पर बैंकों को वर्ष के प्रारम्भ में ही नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त आवंटन राशि की जानकारी कर लेनी चाहिये। नई नीति व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें वर्ष के अन्त में उनकी पुर्नवित्त की अपात्रता अथवा पिछले वर्ष की तुलना में कम आवंटन के बारे में बताया जाता है। नाबार्ड को स्वतः नवीनतम सम्प्रेक्षण रिपोर्ट जो वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध है, पर आधारित निर्धारित वर्ष के लिये, पुर्नवित्त आवंटन राशि वर्ष के प्रारम्भ में देते हुये इस व्यवस्था को रोकना चाहिये।

### (3) पुर्नवित्त पर ब्याज दर

- जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, मध्यम तथा उच्च जोखिम श्रेणी के एसीएआरडी बैंकों को 1 से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज देना होगा जो उन्हें आगे कमजोर बनाता है। जैसा कि पुर्नवित्त राज्य सरकार की गारण्टी से आवृत्त है, नाबार्ड को बैंकों की श्रेणी पर विचार किये बिना पुर्नवित्त पर समान ब्याज दर रखना चाहिये।

### (4) सहकारी विकास निधि(सीडीएफ) सहायता

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को सीडीएफ से सभी प्रकार की सहायता रोक दी है। कम्प्यूट्रीकरण के लिये सहायता, एलटीसीसीएस को पुनरुद्धार पैकेज दिये जाने की वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट की संस्तुति जिसमें एक घटक कम्प्यूट्रीकरण के लिये भी था, की पृष्ठभूमि में कम्प्यूट्रीकरण के लिये सहायता रोक दी गई। इसके कारण बैंक सरकार और सीडीएफ दोनों की ही सहायता पाने से वंचित हैं। पुनरुद्धार पैकेज लागू किये जाने की अनिश्चितता को देखते हुये नाबार्ड को कम्प्यूट्रीकरण के लिये सीडीएफ सहायता फिर से प्रारम्भ करने पर विचार करना चाहिये। सीडीएफ के सहयोग से विगत में दी जा रही अनेक प्रकार के आधारभूत विकास कार्योंकी सहायता को भी पुर्नजीवित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

### डॉ. हर्ष कुमार भानवाला, नवनि्युक्त अध्यक्ष, नाबार्ड का अभिनन्दन ।

दिनांक 22 जनवरी 2014 को फेडरेशन के कार्यालय में आयोजित बैठक जिसमें फेडरेशन तथा अनेक राज्यों के सदस्य बैंको के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे, फेडरेशन ने डा. हर्ष कुमार भानवाला का अभिनन्दन किया जिन्होंने दिसम्बर 2013 में चेयरमैन नाबार्ड का पद भार ग्रहण किया था।

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री एस.एस.म्रार की अनुपस्थिति में, जो परिवार में किसी आपात घटना के कारण मुम्बई नहीं पहुँच सके, श्री के.शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष ने अभिनन्दन एवं परिचयात्मक उदबोधन प्रस्तुत किया। श्री नायर ने कहा कि डा. हर्ष वित्त, विकास एवं सहकारिता के क्षेत्र में अपने विविध अनुभवों तथा अपनी अभिनव सोच तथा समस्याओं के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने वाले, नाबार्ड को नेतृत्व प्रदान करने के लिये इस पद के सर्वथा उपयुक्त विकल्प हैं। श्री नायर ने फेडरेशन के साथ प्रारम्भिक जीवन में उनके दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में सक्रिय तथा लाभदायी साहचर्य की भी याद दिलाई। श्री नायर ने चेयरमैन से एआरडी बैंकों से सम्बन्धित नाबार्ड के पुर्नवित्त की नीतियों के गम्भीर मामालों पर उपयुक्त कदम उठाने पर विचार करने तथा जेएलटीसी को सहयोग प्रदान करने के साथ नाबार्ड की सीडीएफ सहायता को पुर्नजीवित करने की अपील की। उन्होंने चेयरमैन से पुर्नवित्त सम्बन्धित विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कराने पर विचार करने का सुझाव दिया।

डा. हर्ष ने अपने उदबोधन में आयोजित स्वागत समारोह के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक दीर्घ अन्तराल के बाद फेडरेशन तथा इसके सदस्यों के साथ अपने साहचर्य को ताजा करने पर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा कि वह फेडरेशन तथा उसके सदस्यों के नाबार्ड की पुर्नवित्त नीतियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में सुझावों के लिए तैयार हैं। साथ ही, ऋणदाता के रूप में नाबार्ड को ग्राहक संस्थाओं के स्वास्थ्य के बारे में सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में एससीएआरडी बैंकों का जोखिम मूल्यांकन प्रारम्भ किया गया। जब आस पास सभी कुछ बदल रहा हो, सहकारी संस्थाओं को उन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाये रखना अनिवार्य है। प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। सहकारी संस्थाओं को, अन्य बैंकों की तरह, प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। बैंकों को वसूली पर केन्द्रित करने की ज़रूरत है। वसूली का वर्तमान स्तर संवहनीय नहीं है। नाबार्ड बैंको को अपनी कार्यप्रणाली सुधार करने के प्रयास में विशेषरूप से, वसूली में सुधार तथा वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। ठोस योजनाओं पर आधारित पुर्नवित्त सहयोग तथा कार्य निस्पादन में सुधार को भी प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विस्तृत विचार विमर्श हेतु जैसा कि फेडरेशन ने सुझाव दिया है, वह बैंक प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक ने नाबार्ड के चेयरमैन को सुधार लाने विशेष रूप से वसूली प्रक्रिया के क्षेत्र में, संसाधन जुटाने एवं व्यवसाय विविधीकरण जैसा कि वैद्यनाथन टास्क फोर्स - II ने सुझाव दिया तथा जिसे एससीएआरडी बैंक स्तर पर सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से अनुमित लिये बिना निर्धारित एवं लागू किया जा सकता है, एससीएआरडी बैंको में सुधार पहल के लिये कोर ग्रुप के गठन कराये जाने की फेडरेशन ने नवीन पहल से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जहां सीजीआर आई सक्रिय है, एससीएआरडी बैंकों के सभी कार्य निस्पादन मानकों में उल्लेखनीय सुधार है। नाबार्ड के चेयरमैन ने इस पहल की प्रशंसा की तथा इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाबार्ड के सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में यह भी सूचित किया गया कि नाबार्ड जेएलटीसी, जो कि बर्ड लखनऊ का प्रमाणन प्राप्त करता है, को सहयोग देना जारी रखेगा जिसके लिये अब व्यवस्था है।

## VI. योजना अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (पीआरडी) द्वारा सम्पन्न क्रियाकलाप

सदस्य बैंकों को अनुसंधान तथा प्रगति सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु फेडरेशन में नियोजन अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना 1973 में की गई थी।

### लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन पीआरडी प्रकोष्ठका एक महत्वपूर्ण कार्य है। लैण्ड बैंक जरनल के पांच अंक अर्थात् दिसम्बर 2012, मार्च 2013, जून 2013 सितम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2013 का प्रकाशन वर्ष के दौरान किया गया तथा उन्हें सदस्यों/ग्राहकों को भेजा गया। मार्च 2014 का अंक संकलन में है।

## वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

प्रकोष्ठ द्वारा सदस्य बैंकों के कार्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन तथा वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी किया जाता है। वर्ष 2010-11 की सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन वर्ष के दौरान किया गया। 2011-12 की बुलेटिन मुद्रण के अधीन है तथा 2012-13 का बुलेटिन संकलन के स्तर पर है। फेडरेशन एआरडी बैंकों के कार्यों से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण प्रकाशन की सूचना प्रणाली को बुनियादी स्तर के आंकड़ों से सुसंगत बनाना चाहता है।

## एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अपने स्तर पर समीक्षा करने तथा भारत सरकार को सूचित करने के लिए फेडरेशन सदस्य बैंकों के कार्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली कार्य निष्पादन, ऋण एवं जमा संग्रहण आदि प्रमुख क्षेत्र मासिक प्रगति प्रतिवेदन में आच्छादित हैं।

अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 तक 10 संकलित मासिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन 2013-14 में कराया गया। फरवरी 2014 का प्रतिवेदन संकलन की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

## सुधारों की पहल हेतु कोर ग्रुप (सीजीआरआई)

पीआरडी प्रकोष्ठ, बैठकों के आयोजन हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी करने, बैठकों के नियमित आयोजन तथा इसमें लिये गये निर्णयों के अनुपालन की निगरानी बनाये रखने के लिये सदस्य बैंकों की सीजीआरआई में भी सम्मिलित है। प्रकोष्ठ प्रबन्ध प्रतिवेदनों का संग्रहण कर समिति को सीजीआरआई के सुझावों से अवगत कराती है तथा तदनुसार सामान्य दिशा निर्देश जारी करता है।

## सुझावों पर उप-समूह

फेडरेशन ने सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सुधारों पर उन सदस्य बैंकों के उप समूह का गठन करा दिया है, जिन्होंने सीजीआरआई का गठन करा लिया है। इस उप समूह की एक बैठक दिनांक 25 मई 2013 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में एससीएआरडी बैंकों के स्तर पर सुधार पहल के लिये निर्धारित एजेण्डे को अंतिम रूप दिया गया।

## प्रलेखीकरण एवं सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान

फेडरेशन ने गतवर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष आयोजन के हिस्से के रूप में एलटीसीसीएस की सफलता की कहानियों के आदान प्रदान तथा प्रलेखीकरण की पहल की थी। फेडरेशन ने 2013-14 के दौरान ऋण वितरण एवं वसूली के सर्वोत्कृष्ट कार्यों के प्रलेखीकरण पर केन्द्रित किया।

पीआरडी प्रकोष्ठ ने 20 मार्च 2014 को नई दिल्ली में फेडरेशन के बोर्ड की 142वीं बैठक के तत्वावधान में ऋण वसूली में सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली के आदान-प्रदान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। डा. चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष, एनसीयूआई उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे तथा एनसीएआडीबीएफ के अध्यक्ष श्री एस.एस.म्रार आयोजन के सभापति थे। डा दिनेश, मुख्य कार्यकार अधिकारी, एनसीयूआई ने आधार आख्यान प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में सदस्य बैंकों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। सदस्य बैंकों ने ऋण वसूली में सर्वोत्कृष्ट कार्य प्रणाली पर अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं। संगोष्ठी अनेक राज्यों में सदस्य बैंको द्वारा ऋण वसूली में सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली के अनुसरण करने के आदान प्रदान की दृष्टि से उपयोगी थी।

## VII. सम्बद्धीकरण

### (i) राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

#### भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ(एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। श्री के.शिवदासन नायर जो सितम्बर 2013 तक फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं तथा वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, एनसीयूआई के भी उपाध्यक्ष हैं।

फेडरेशन निम्नांकित राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/संस्थाओं से भी सम्बद्ध है:-

#### कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (कोबी)

फेडरेशन सीओबीआई (कोबी)के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष कोबी के भी एक निदेशक है।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (एनएएफएफसी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य सभा एवं बोर्ड के सदस्य हैं।

#### नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन(एनसीडीसी)

श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक एनसीएआरडीबैंक्स फेडरेशन को भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी अधिनियम 1962 की धारा 3(4) (XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों का भी सदस्य है:—

- 1). इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आई.एम.सी.)
- 2). इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आई.बी.ए.)
- 3). इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन ।
- 4). इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि.(आई.टी.सी.)

## (II) अन्तराष्ट्रीय स्तर पर

### इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स (आई.सी.ए.)

फेडरेशन आईसीए—वैश्विक के साथ—साथ आईसीए एशिया—पैसिफिक रीजन का भी सदस्य है । फेडरेशन आई सी ए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है ।

श्री के. शिवदासन नायर फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में पैसिफिक के अन्तर्गत रीजनल कोआपरेटिव यूनियन एशिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आई सी ए के निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया:—

- 1). “सहकारी व्यवसाय में महिलाओं की भूमिका का विस्तार” पर उलानबातार, मंगोलिया में 4 से 6 जून 2013 तक आयोजित आईसीए की क्षेत्रीय कार्यशाला में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन ने भाग लिया ।
- 2). 26 से 28 नवम्बर 2013 को कोलम्बो श्रीलंका में एच आर डी पर आयोजित आईसीए—एपी समिति की क्षेत्रीय संगोष्ठी तथा बैठक में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन ने भाग लिया ।

### एशिया पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन(एपीआरसीए)

फेडरेशन एपीआरसीएका संस्थापक सदस्य है । 1996 से फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं । फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान एपीआरसीएके निम्नांकित कार्यक्रमों/बैठकों में भाग लिया:—

- 1). दिनांक 25 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2013 तक वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑन एग्रीकल्चरल एण्ड रुरल फाइनेन्स तथा अध्ययन भ्रमण में निम्नांकित द्वारा भाग लिया गया:—
  1. श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ
  2. श्री सोलोमन एलेक्स, अध्यक्ष, केरल एससीएआरडी बैंक

3. श्री जॉर्ज कुरियाकोस, महाप्रबन्धक, केरल एससीएआरडी बैंक
  4. श्री कनुभाई एम. पटेल, अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडी बैंक
  5. श्री आई.बी.चौधरी, निदेशक, गुजरात एससीएआरडी बैंक
  6. श्री वी.एम.चौधरी, प्रबन्ध निदेशक, गुजरात एससीएआरडी बैंक
- 2). 19 से 22 नवम्बर 2013 तक बैंकोंक थाईलैण्ड में आयोजित 'एग्रीकल्चरल वैल्यू चैन फाइनेन्सिंग' पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुश्री राजश्री आर., निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ ने भाग लिया।

### इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आई.आर.यू.)

फेडरेशन आई आर यू का सदस्य है। श्री सुखदर्शन सिंह प्रार, अध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ आई आर यू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

### सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर बैंकिंग(सीआईसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं। फेडरेशन नियमित रूप से सदस्य बैंकों के शासकीय एवं अशासकीय अधिकारियों को सीआईसीटीएबी कार्यक्रमों के लिये नामित करता है।

2013-14 के दौरान सीआईसीटीएबी कार्यक्रमों में सहभागिता निम्नानुसार रही:-

1. 26 से 29 नवम्बर 2013 को कोलम्बो, श्रीलंका में सहकारी व्यवसायिक प्रतिमान प्रदर्शनीय (एक्सपोज़र) भ्रमण कार्यक्रम में श्री के.ए. चन्द्रन निदेशक, श्री ए. मोहम्मद बशीर तथा श्री जॉर्ज कुरियाकोस, प्रबन्धनिदेशक केरलएससीएआरडी बैंक ने भाग लिया।
2. बर्ड लखनऊ में दिनांक 18 से 21 मार्च 2014 को आयोजित ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन हेतु स्वयं सहायता समूहों तथा जेएलजीज के संवर्धन एवं वित्त पोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के क्षमता विकास पर कार्यक्रम (प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर संकेन्द्रित) में श्री यग्य दत्त सोनी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, जोधपुर राजस्थान एससीएआरडी बैंक ने भाग लिया।

### ब्रिक्स कोऑपरेटिक्स फोरम

फेडरेशन ने दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2013 के दौरान केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित तृतीय ब्रिक्स कोऑपरेटिक्स संगोष्ठी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

## VIII. फेडरेशन का प्रबन्धन

### सामान्य निकाय

फेडरेशन की सामान्य सभा फेडरेशन के सदस्यों, जो अपने बैंक के प्रबन्ध संचालन समिति के द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं, से बनी है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत् है:—

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।
2. असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी।
3. बहु राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, (बिहार—झारखण्ड) पटना।
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।
5. गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद।
6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला।
7. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर।
9. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बेंगलोर।
10. केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, थिरुअनन्तपुरम।
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल।
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित, मुम्बई।
13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर।
14. पॉण्डिचेरी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पाण्डिचेरी।
15. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़।
16. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर।
17. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई।
18. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला।
19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ।
20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकता।

21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली ।
22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी ।
23. मेघालय राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शिलांग ।

### प्रबन्धन मण्डल

उपविधि क्रमांक 20 (iii) फेडरेशन का प्रबन्धन मण्डल, सामान्य सदस्यों द्वारा चुने गये 20 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, 2 निदेशक फेडरेशन की प्रबन्ध समिति के सहयोजन से प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को जो फेडरेशन के पदेन सदस्य हैं, से बना है ।

कार्यरत प्रबन्धन मण्डल का पांच वर्ष का कार्यकाल वर्ष प्रारम्भ में सितम्बर 2013 में पूर्ण हो गया । नये प्रबन्धन मण्डल का निर्वाचन 21 सितम्बर 2013 को सामान्य सभा मुम्बई में सम्पन्न हुआ । नव निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल के निम्नांकित सदस्य हैं जिन्होंने 21 सितम्बर 2013 को पद भार ग्रहण किया:—

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
1	श्री सुखदर्शन सिंह ग्रा अध्यक्ष (दिनांक 21 सितम्बर 2014 से)	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित
2	श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए. उपाध्यक्ष (दिनांक 21 सितम्बर 2014 से) तथा (दिनांक 21 सितम्बर 2013 तक अध्यक्ष)	केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
3	श्री बिजय कुमार सिंह उपाध्यक्ष	बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित । झारखण्ड –बिहार
4	श्री दिलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष (20.3.2014 से) (श्री सतबीर शर्मा ने बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व दिनांक 20.03.2014 तक किया ।)	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
5	श्री अशोक कुमार सिंह फौजदार उपाध्यक्ष	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित
6	श्री किशन सिंह भटोल उपाध्यक्ष(10.01.2014 तक)  श्री अजीत केसरी प्रमुख सचिव सहकारिता प्रशासक— 10.01.2014 से	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
7	श्री के.वीरा रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
8	श्री सी.पन्ना	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक लि.
9	श्री आर.एस.दहिया (डा. ब्रिजेन्द्र सिंह अध्यक्ष ने बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व दि.21.09.2013 तक किया।)	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.
10.	श्री बी.एच.जडेजा (श्री आई बी चौधरी बैंक के निदेशक ने बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व दि.21.09.2013 तक किया )	गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक लि.
11	श्री उल्हास बी.फल देसाई	गोवा राज्य सहकारी बैंक लि.
12	श्री के. सदाक्षरी, एम.एल.ए. (श्री ए.शिवराम बैंक के अध्यक्ष ने बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व दि. 21.09.2013 तक किया।)	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक लि.
13	श्री डब्लू. के. किन्डिया	मेघालय एपेक्स सहकारी बैंक लि.
14	श्री बी. शाहुल अमीद	तमिल नाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक लि.
15	श्री ज्योति लाल दत्ता	त्रिपुरा सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक लि.
16	श्री राम जतन यादव	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
17	श्री के.के.रविन्द्रन	पदेन

नोट:- बोर्ड की उपविधियों के अनुसार 20 निर्वाचित सदस्यों में से दिनांक 31.03.2014 को 16 निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचन की स्थिति में थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति चुनाव/गैर प्रतिनिधि सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों, जिनका कोई बकाया कोष नहीं है, के प्रत्यायोजन द्वारा शीघ्र ही कर ली जायेगी।

### कार्यकारणी समिति

फेडरेशन के अपनियम 26(ए) के अनुसार कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, तथा 5 बोर्ड के निर्वाचित सदस्य होंगे। तदनुसार दिनांक 21.09.2013 को नये प्रबन्धन मण्डल के निर्वाचन के बाद निम्नांकित सदस्यों सहित कार्यकारणी समिति का भी गठन कर लिया गया था।

#### 1). श्री सुख दर्शन सिंह मार, अध्यक्ष

(पंजाब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

- 2). श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष  
(केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- 3). श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष  
(बहुराज्यीय भूमि विकास बैंक लि. झारखण्ड-बिहार)
- 4). श्री दिलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष  
(हरियाना राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- 5). श्री अशोक कुमार फौजदार, उपाध्यक्ष  
(राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.)  
(श्री के.एस.भटोल के स्थान पर दिनांक 20.03.2014 को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)
- 6). श्री के. वीरा रेड्डी  
(आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि.)
- 7). श्री के. सदाक्षरी, एम.एल. ए.  
(कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- 8). श्री के. शाहुल अमीद  
(तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- 9). श्री डब्लू. के. किन्डया  
(मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.)
- 10). श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक एनसीएआडीबीएफ

#### प्रशासनिक समिति

फेडरेशन के उपनियम 27(ए), के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। फेडरेशन की प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं।:-

1. श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष
2. श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष
3. श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष
4. श्री अशोक कुमार फौजदार, उपाध्यक्ष (श्री के.एस.भटोल भू.पू.उपाध्यक्ष के स्थान पर दिनांक 20.03.2014 से)

5. श्री दिलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष
6. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

**वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामान्य सभा, विशेष सामान्य निकाय, बोर्ड तथा प्रबन्ध कारिणी समितिकी बैठकें**

सामान्य निकाय की बैठक, प्रबन्ध एवं कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठकों का विवरण तिथि एवं स्थान सहित नीचे सूचीबद्ध है:-

बैठकें	स्थान	दिनांक
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय (53वीं)	नवी मुम्बई	15 जुलाई 2013
(बी)सामान्य निकाय (प्रबन्ध समिति का निर्वाचन)	नवी मुम्बई	21 सितम्बर 2013
(सी)प्रबन्ध समिति		
140वां बोर्ड	नवी मुम्बई	15 जुलाई 2013
141वां बोर्ड	पटना, बिहार	22 दिसम्बर 2013
142वां बोर्ड	नई दिल्ली	20 मार्च 2014
(डी)कार्यकारिणी समिति		
	नवी मुम्बई	25 मई 2013
	नई दिल्ली	20 मार्च 2014

**बोर्ड की बैठकों में महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर विचार विमर्श किया गया**

सदस्य बैंको के क्रिया कलापों की समीक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण साख से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यों के विचार विमर्श का मुख्य मंच बोर्ड की बैठकें सदैव ही बनी रहीं।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यवसाय से सम्बन्धित क्रिया कलापों पर विचार विमर्श तथा ऋण पत्र निर्गमन, ऋण, वसूली इत्यादि के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर विचार विमर्श एवं चर्चा की गई:-

1. एससीएआरडीबैंक एवं उप सूह स्तर पर सीजीआरआई में सुधारों पर फेडरेशन स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय।
2. एलटीसीसीएस के लिए पुनरुद्धार पैकेज -प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री से सांसदों द्वारा संयुक्त अपील।
3. वर्ष 2013-14 के लिये नाबार्ड द्वाराएससीएआरडी बैंकों को किये जाने वाला पुर्नवित्त आवंटन।

4. एससीएआरडी बैंकों के कार्य निष्पादन पुरस्कार में चयन हेतु संशोधित योजनायें ।
5. बहु राज्यीय सहकारी समिति जैसे कि नैफेड, कृभको आदि के कर्मचारियों पर सीवीसी अधिकार क्षेत्र ।
6. कृषि विपणन आधारिक संरचना, मूल्यांकन एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढीकरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें ।
7. ग्रामीण गोदामों के निर्माण/मरम्मत-नवीनीकरण/विस्तार हेतु पूँजी निवेश अनुदान, की केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें ।
8. कृषि चिकित्सालय तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र(एसीएबीसी)-योजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 में जारी रखना ।
9. वर्ष 2012-13 के दौरान सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों की समीक्षा ।
10. पुनरुद्धार पैकेज के लागू कराने हेतु प्रधान मंत्री से प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता ।
11. एससीएआरडी बैंकों द्वारा सुधारों की पहल ।
12. सूचना के अधिकार की सहकारी संस्थाओं में प्रयोज्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।
13. एससीएआरडी बैंको का जोखिम मूल्यांकन ।
14. ऋण सम्बन्धी मुद्दों पर सचिव कृषि एवं सहकारिता द्वारा आयोजित की गई बैठक ।
15. पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फण्ड-योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखना ।
16. "पोल्ट्री इस्टेट" स्थापना के लिये केन्द्रीय प्रयोजित योजना तथा ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए मदर यूनिट्स-योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखना ।
17. लघु जुगाली करनेवाले एवं खरगोशों का समन्वित विकास-योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखना ।
18. डेयरी उद्यमिता विकास योजना-(डीईडीएस)-योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखना ।
19. सुअर विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना-योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखना ।
20. ग्रामीण गोदाम(आर जी) एवं एएमआईजीएस योजना- नाबार्ड को अंतिम अनुदान का दावा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा ।
21. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अप्रैल से सितम्बर 2013 तक एससीएआरडी बैंकों की प्रगति ।
22. नाबार्ड की पुर्नवित्त नीतियों से सम्बन्धित मुद्दे ।
23. 22 जनवरी 2014 को नवी मुम्बई में सम्पन्न नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक ।
24. सीजीआरआई के माध्यम से सुधारों की प्रगति ।
25. एससीएआरडी बैंकों के लिए व्यवसाय विकास योजना-प्रारूप की रूपरेखा ।
26. नाबार्ड के पुर्नवित्त पर ब्याज की दर ।
27. प्रमुख सचिव सहकारिता की दूसरी संगोष्ठी से सम्बन्धित प्रस्ताव ।
28. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अप्रैल से दिसम्बर 2013 तक एससीएआरडी बैंकों की प्रगति ।

## IX. वित्त एवं लेखा

वर्ष 2013-14 के लिए अंकित वित्तीय विवरण पत्रोंके अनुसार परिसम्पत्तियां एवं देयतायें तथा आय एवं व्यय खातों का सारांश निम्नवत् हैं:

### परिसम्पत्तियां एवं देयतायें

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	देयतायें	जैसा कि		क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	जैसा कि	
		31-3-14	31-3-13			31-3-14	31-3-13
1.	आरक्षित निधि तथा अन्य निधियां	1733.46	1684.24	1.	रोकड़ शेष तथा बैंक शेष	18.06	21.16
2.	प्रतिभूत ऋण	0.00	10.45	2.	निवेश	1446.38	1404.37
3.	अन्य देयतायें एवं प्रावधान	50.62	43.18	3.	स्थिर परिसम्पत्ति	256.53	248.50
4.	आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित अधिशेष	9.27	8.22	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य राशियां	55.90	57.56
				5.	ऋण एवं अग्रिम	11.30	10.89
				6.	विविध जमा एवं पूर्व दत्त व्यय	5.18	3.61
	<b>योग</b>	<b>1793.35</b>	<b>1746.09</b>		<b>योग</b>	<b>1793.35</b>	<b>1746.09</b>

### आय एवं व्यय

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
		2013-14	2012-13
	<b>आय</b>		
1.	वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा सदस्य बैंको द्वारा अतिरिक्त अभिदान/सहयोग	74.12	109.54
2.	ब्याज आय	71.78	85.42
3.	प्राप्त अनुदान	0.00	18.00
4.	विविध आय/लाभांश/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.52	0.62
5.	पुनरांकित प्रावधान	10.50	47.33
	<b>योग (1 से 5)</b>	<b>156.92</b>	<b>260.91</b>
	<b>व्यय</b>		
1.	प्रबन्धन लागत	79.31	95.91
2.	अन्य कार्यालय व्यय	22.72	22.56
3.	बैठक/संगोष्ठी/सम्मेलन व्यय	8.45	32.00
4.	परिसर रख-रखाव व्यय	8.31	8.98
5.	प्रावधान/सुरक्षित निधियां	28.86	93.23
	<b>योग (1 से 5)</b>	<b>147.65</b>	<b>252.68</b>
	<b>अधिशेष</b>	<b>9.27</b>	<b>8.23</b>

## विन्यास निधि

31 मार्च 2014 को विभिन्न विन्यास निधियों की स्थिति संक्षेप में नीचे अंकित की गई है :-

निधि का नाम	31.3.2014 को अवशेष	उद्देश्य
1. बी. वेंकटरत्नम् स्मारक निधि	₹ 77,861.99	बी.वी.स्मारक ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष श्रेणी-1 के सर्वोत्तम ए.आर.डी. बैंक को प्रदान कराई जाती है।
2. उदय भान सिंह स्मारक निधि	₹ 1,24,473.42	(i) सहकारी प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा संचालित देश के सहकारी प्रबन्ध संस्थान से लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंकिंग में डिप्लोमा कोर्स कर रहे मेधावी प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जाता है। (ii) उदय भान सिंह स्मारक ट्रॉफी श्रेणी-1 को प्रत्येक वर्ष प्रदान कराई जाती है।
3. दत्तात्रयालु स्मारक निधि	₹ 59,647.50	दत्तात्रयालु स्मारक ट्रॉफी श्रेणी-1 को प्रत्येक वर्ष प्रदान कराई जाती है।
4. केरल एस.सी.ए.आर.डी.बी. द्वारा गठित एम. एन. नाम्बियार स्मारक निधि	₹ 52,570.86	एम.एन.नाम्बियार ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम ऋण वितरण करने वाले ए.आर.डी.बैंक को प्रदान कराई जाती है।
5. पंजाब एस.सी.ए.आर.डी. बैंक द्वारा गठित पंजाब मुख्यमंत्री ट्रॉफी कोष	₹ 46,331.00	पंजाब मुख्य मंत्री ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष ऋण वसूली में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन करने वाले ए.आर.डी. बैंक को प्रदान कराई जाती है।
6. रजत जयन्ती कोष	₹ 3,27,405.10	इस कोष के अन्तर्गत फेडरेशन, वैमनिकॉम पुणे द्वारा संचालित व्यापार प्रबन्धन में परास्नातक डिप्लोमा करने वाले सदस्य बैंक के किसी एक कर्मचारी अथवा किसी सदस्य अथवा सदस्य के आश्रित को अध्येतावृत्ति हेतु ₹25000.00 प्रदान कराता है।
7. फेडरेशन द्वारा गठित एशियन रेफिसन सेण्टर कोष	₹ 1,42,632.18	आईआरयू के तत्वावधान में विशेषा कार्यक्रमों को संचालित करना।
<b>योग</b>	<b>₹ 8,30,922.05</b>	

## X. वर्ष 2013-14 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों पर प्रतिवेदन

### ए. वितरित ऋण

वर्ष 2012-13 में कुल वितरित ₹3710.82 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) द्वारा ₹4498.46 करोड़ के ऋण वितरित किये गये। चालू वर्ष में गत वर्ष की तुलना में ₹787.63 करोड़ की वृद्धि रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.23% अधिक रहा। ऋण वितरण में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश (100%), तमिलनाडु (28.03%), केरल (27.07%), पंजाब (16.10%) कर्नाटक (3.64%) एससीएआरडी बैंकों में हुई जबकि हरियाणा (>100%), त्रिपुरा (>100%), पश्चिम बंगाल (>100%), जम्मू व कश्मीर (35.35%) तथा गुजरात (7.67%) एससीएआरडी बैंकों के सम्बन्ध में ऋण वितरण में कमी हुई। गतवर्ष 2012-13 के ₹15978.82 करोड़ के विरुद्ध, अंतिम ऋण प्राप्त कर्ता स्तर पर बकाया कुल ऋण वर्ष 2013-14 में ₹16456.37 करोड़ रहा।

### बी. उधार राशियां

वर्ष 2012-13 के ₹2454.76 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 13 कार्यशील एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की कुल उधार राशियां ₹2441.67 करोड़ रही। जिनमें गत वर्ष की तुलना में ₹13.09 करोड़ की गिरावट परिलक्षित हुई। एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा सृजित कुल धनराशि में नाबार्ड से प्राप्त अंश ₹1794.65 करोड़ था जो वर्ष 2013-14 में कुल उधार राशि का 73.50% हुआ। जबकि अन्य संस्थाओं जैसे कि एनसीडीसी, एनएचबी, एससीबी आदि के माध्यम से प्राप्त राशियां ₹597.85 करोड़ रहीं जो वर्ष 2013-14 में 24.49 प्रतिशत थीं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एससीएआरडी बैंको के ऋणों में चालू वर्ष में वृद्धि परिलक्षित हुई। जबकि हरियाणा (32.90%), पश्चिम बंगाल (16.85%), तथा पंजाब (4.60%) एससीएआरडी बैंकों में गिरावट आई। उक्त 13 पूर्ण तथा कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंको में से जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश की उधार राशियां शून्य रहीं।

31 मार्च 2013 को ₹13202.26 करोड़ के सापेक्ष, 31 मार्च 2014 को 13 पूर्णतया कार्यशील एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का बकाया उधार ₹12,805.02 करोड़ आंकलित किया गया। बकाया उधार में गिरावट मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश (22.41%), त्रिपुरा (16.08%), तमिलनाडु (12.90%), हरियाणा (10.40%), कर्नाटक (4.70%) एससीएआरडी बैंकों के कारण हुई जबकि गुजरात (91.24%), तथा केरल (9.95%) एससीएआरडी बैंकों में वृद्धि हुई तथा पंजाब (1.89%) में आंशिक वृद्धि हुई।

### सी. जमा संग्रहण

वर्ष 2012-13 में ₹632.59 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 11 पूर्णतः कार्यशील एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹103.94 करोड़ (16.43%) की संतोषजनक वृद्धि के साथ ₹736.52 करोड़ के जमा संग्रहण बढ़ाये।

जमा संग्रहण में वृद्धि में मुख्य रूप से गुजरात, हिमांचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एस.सी.ए.आर.डी. बैंक तथा आंशिक रूप से आगे पश्चिम बंगाल रहे। यद्यपि पंजाब एससीएआरडीबैंक में गिरावट थी।

31 मार्च 2013 को रु.869.52 करोड़ के सापेक्ष, 31 मार्च 2014 को ₹256 करोड़ (29.44 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ कुल अदत्त जमा ₹1125.52 करोड़ आंकलित किया गया।

### डी. वित्तीय कार्य सम्पादन

पूर्ण कार्यशील 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की 31 मार्च 2014 को लाभ / हानि की स्थिति से स्पष्ट होता है कि उनमें में से 8 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने लाभ दर्शाया है जब कि 5 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल) ने हानि दिखाई है। 8 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का कुल लाभ ₹97.29 करोड़ तथा 5 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की हानि ₹143.09 करोड़ रही।

### ई. अनर्जक परिसम्पत्तियां

31 मार्च 2014 को पूर्ण कार्यशील 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का कुल बकाया ऋण ₹14738.11 करोड़ था, अनर्जक परिसम्पत्तियां (एनपीए) ₹2891.06 करोड़ थी जो 31 मार्च 2013 को कुल बकाया ऋण के 17.83% की तुलना में 19.62% थीं।

### एफ. वसूली कार्य सम्पादन

अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर की वार्षिक वसूली उपलब्धियों का सम्पादन जुलाई 2012 से जून 2013 तक की अवधि का किया जाता है। चूंकि 30 जून 2014 को इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक आंकड़े सरलता से उपलब्ध नहीं कराये जा सके, समीक्षा के लिये 30 जून 2013 की स्थिति को लिया जा रहा है। 2012-13 में (30 जून 2013) बुनियादी स्तर मांग पूर्णतः कायशील 13 ए.आर.डी. बैंकों की कुल मांग ₹10309.91 करोड़ थी जिसके विरुद्ध ₹4902.35 करोड़ की कुल वसूली हुई जो गत वर्ष 30 जून 2012 में 42.67% के सापेक्ष मांग का 47.55% थी। अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर सात एससीएआरडी बैंकों यथा—कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल की वसूली प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक था 8 बैंकों यानी, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जब कि गुजरात, हिमांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यही स्तर 40 से 50 प्रतिशत की सीमा में था।

### जी. सामान्य सूचनायें

वर्ष 2013-14 में एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की आधारभूत संरचना प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 19

एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में संघीय एवं एकात्मक प्रणाली के एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या पूर्व की भांति क्रमशः 10 और 7 ही रही तथा अवशेष मिश्रित संरचना प्रणाली वाले 2 एस.सी.ए.आर.डी. बैंक हैं जिनमें सम्बद्ध पी.सी.ए.आर.डी. बैंक एवं शाखायें दोनों ही हैं। इस प्रतिवेदन के तैयार किये जाने तक सरलता से उपलब्ध वर्ष 2013-14 के सामान्य प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर दोनों-पूर्णतः कार्यशील तथा गैर पूर्णतः कार्यशील एससीएआरडी बैंकों के :31 मार्च 2014 की स्थिति पर ही समीक्षा की जा रही है।

एकात्मक/मिश्रित कार्यप्रणाली के एस.सी.ए.आर.डी. बैंक अपनी 823 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च 2014 को (पी.सी.ए.आर.डी.बी.) हैं तदनन्तर जिनकी 991 शाखायें हैं। 31 मार्च 2014 को 18 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (महाराष्ट्र ने सूचनाएं नहीं दी) की कुल सदस्य संख्या 122.39 लाख है जिनमें 69.12 लाख ऋणी सदस्य हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 12 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की निर्वाचित प्रबन्ध समितियां हैं जब कि 7 एस.सी.ए.आर.डी. बैंको के प्रबन्धन मण्डल निर्वाचित नहीं हैं। पीसीएआरडीबैंक स्तर पर 31.03.2014 को 548 पीसीएआरडी बैंकों की निर्वाचित प्रबन्ध समिति थी। संक्षेप में तत्सम्बन्धी आंकड़े निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
1.	शाखाओं ओं की संख्या (संघीय)	10	10
2.	शाखाओं ओं की संख्या (एकात्मक प्रणाली)	7	7
3.	शाखाओं की संख्या (मिश्रित प्रणाली)	2	2
4.	एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं (एकात्मकप्रणाली)	823	823
5.	पीसीएआरडी बैंकों की शाखाएं (संघीय)	714	714
6.	पीसीएआरडी बैंकों की शाखाएं (संघीय)	991	991
7.	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	122.39	122.48
8.	मद क्रमांक 7 के ऋणी सदस्य (लाखों में)	69.12	69.80
9.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित प्रबन्ध समितियां हैं।	12	13
10.	पीसीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित प्रबन्ध समितियां हैं।	548	382
11.	एससीएआरडी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या	5814	6139
12.	पीसीएआरडी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या	8662	9102

## XI. आभार स्वीकार

अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि के अपने प्रयासों के अन्तर्गत, फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये हैं। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता हैं।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है साथ ही दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये नेतृत्व प्रदान करता रहा है। नाबार्ड, प्रतिवेदित वर्ष में भी एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को अपना पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है यद्यपि सहयोग की मात्रा में कमी आई है तथा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011-12 से निर्धारित नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी लागत में वस्तुतः वृद्धि हुई है, हमें विश्वास है कि वे नई नीतियां अवश्य बदली जायेंगी। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

एन.सी.डी.सी., एन.एचबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते रहे हैं जिससे उन्हें अपने सदस्यों की ऋण सम्बन्धी ज़रूरतों को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली। हम इन सभी संस्थाओं के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं।

एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रियाकलापों में करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये श्री चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी डा. दिनेश के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रबन्धन मण्डल माननीय सांसदों विशेष रूप से श्री पी. जे. कुरियन, उपाध्यक्ष राज्य सभा तथा श्री एन्टो एन्थोनी, सदस्य लोक सभा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिन्होंने दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के मुद्दों को आगे बढ़ा कर भारत सरकार के साथ बैठक आयोजन कराने में अहम भूमिका निर्वहन की।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति आभार की अन्तस भावना प्रकट करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री सुखदर्शन सिंह म्रार जिन्होंने श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए. उपाध्यक्ष, श्री बिजय कुमार सिंह उपाध्यक्ष, श्री दलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष तथा श्री

अशोक कुमार फौजदार उपाध्यक्ष के कुशल सहयोग के साथ फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना के चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हुये अपना बहुमूल्य योगदान दिया, के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

**सुखदरर्शन सिंह ग्रांर**  
अध्यक्ष

### तालिका 1 - उधार राशियां

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	वर्ष 2013-14 के दौरान एकत्रित				महा योग	
		नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार से	राज्य सरकार से	अन्य (एनसीडीसी/एससीबी/एनएचबी)	2013-14 (3+4+5+6)	(2012-13)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>							
1.	गुजरात	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.00
2.	हरियाणा	6797.25	377.63	377.63	41650.00	49202.51	73321.25
3.	हिमांचल प्रदेश *	0.00	0.00	1057.00	0.00	1057.00	1057.00
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	9998.17	800.00	400.00	0.00	11198.17	8564.19
6.	केरल	77800.00	0.00	0.00	5000.00	82800.00	68242.65
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	389.10	389.10	392.18
8.	पंजाब	43000.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	45074.55
9.	राजस्थान *	19969.28	795.20	1109.40	0.00	21873.88	21873.88
10.	तमिल नाडु	0.00	0.00	0.00	12743.00	12743.00	11316.42
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	12999.99	0.00	0.00	0.00	12999.99	15633.40
<b>योग (1 से 13 तक)</b>		<b>179464.69</b>	<b>1972.83</b>	<b>2944.03</b>	<b>59782.10</b>	<b>244163.65</b>	<b>245475.52</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>							
1.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	13532.72	600.62	14133.34	17532.80
5.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग (1 से 6 तक)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13532.72</b>	<b>600.62</b>	<b>14133.34</b>	<b>17532.80</b>

नोट - \* 31-03-2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

## तालिका 2 - उधार राशियों का अवशेष

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2014 को अवशेष				महायोग	
		नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार से	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एससीबी/एनएचबी)	जैसा कि 31.03.2014 को था (3+4+5+6)	जैसा कि 31.03.2013 को था
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>							
1.	गुजरात	13100.10	105.79	0.00	51.47	13257.36	6932.35
2.	हरियाणा	157510.42	4373.71	4399.45	27569.00	193852.58	216357.51
3.	हिमांचल प्रदेश *	16731.15	632.05	1077.30	0.00	18440.50	18440.50
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	137925.44	908.18	908.18	0.00	139741.80	146635.71
6.	केरल	296814.83	1277.69	1277.69	12731.59	312101.80	283867.69
7.	पाण्डिचेरी	2.06	0.00	0.75	754.96	757.77	791.98
8.	पंजाब	215456.38	660.67	197.78	0.00	216314.83	212306.44
9.	राजस्थान *	118924.27	3366.31	3645.56	0.00	125936.14	125936.14
10.	तमिल नाडु	0.00	0.00	6389.87	7635.00	14024.87	16101.65
11.	त्रिपुरा	2942.48	0.00	44.50	0.00	2986.98	3559.25
12.	उत्तर प्रदेश	149658.51	2825.69	2829.04	2500.00	157813.24	203390.65
13.	पश्चिम बंगाल	84199.68	0.00	0.00	424.59	84624.27	85289.88
	<b>योग ( 1 से 13 तक )</b>	<b>1193265.32</b>	<b>14429.37</b>	<b>21106.84</b>	<b>51666.61</b>	<b>1280468.14</b>	<b>1320225.75</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>							
1.	असम *	0.00	57.48	145.02	12.00	214.50	214.50
2.	बिहार *	731.16	89.41	860.66	0.00	1681.23	1681.23
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	225.63	225.63	11474.04
4.	मध्य प्रदेश	57796.04	2480.12	63052.67	4807.64	128136.47	125575.53
5.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	6547.64	83393.48	89941.12	89941.12
6.	उड़ीसा *	0.00	541.21	5603.41	1.64	6146.26	6146.26
	<b>योग ( 1 से 6 तक )</b>	<b>58527.20</b>	<b>3168.22</b>	<b>76209.40</b>	<b>88440.39</b>	<b>226345.21</b>	<b>235032.68</b>

नोट - \* 31-03-2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

### तालिका 3 - जमा संग्रहण कार्यक्रम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	जमा संग्रहण वृद्धि की अवधि		अंकित तिथि को जमा अवशेष	
		2013-14	2012-13	31-03-2014	31-03-2013
1	2	3	4	5	6
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>					
1.	गुजरात	17705.57	16785.67	22019.30	20558.79
2.	हिमांचल प्रदेश #	2284.70	1510.00	5260.84	3480.74
3.	जम्मू एण्ड कश्मीर	945.30	832.56	3154.80	2209.50
4.	कर्नाटक	6005.64	4474.71	11868.78	9254.83
5.	केरल	25632.46	22311.45	16049.61	10124.35
6.	पाण्डिचेरी	849.92	721.23	1138.85	1096.72
7.	पंजाब	2394.77	6487.83	15866.38	13471.60
8.	राजस्थान #	85.04	51.50	75.49	138.26
9.	तमिल नाडु	15821.78	8264.23	16264.82	7694.69
10.	उत्तर प्रदेश	80.98	0.00	5568.07	5487.08
11.	पश्चिम बंगाल	1846.78	1819.50	15282.54	13435.76
<b>योग ( 1 से 11 तक )</b>		<b>73652.94</b>	<b>63258.68</b>	<b>112549.48</b>	<b>86952.32</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>					
1.	असम *	14.44	14.44	24.76	24.76
2.	छत्तीसगढ़	1418.91	1888.93	1473.98	2015.06
3.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	4799.90	6396.46
4.	उड़ीसा	0.00	0.00	112.10	116.63
<b>योग ( 1 से 4 तक )</b>		<b>1433.35</b>	<b>1903.37</b>	<b>6410.74</b>	<b>8552.91</b>

नोट 1 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

2 - # मासिक रिपोर्ट मार्च 2014 से

**तालिका 4 - ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष**

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	2013-14 में वितरित		महा योग		31 मार्च 2014 को अवशेष		कुल अवशेष	
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी /अन्य. ऋण सहित)	2013-14 (3+4)	(2012-13)	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी/ अन्यऋण सहित)	31.03.2014 को (7+8)	31-03-2013 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>									
1.	गुजरात	14744.88	2805.95	17550.83	19008.81	55154.76	3092.99	58247.75	57989.36
2.	हरियाणा	4412.50	2264.80	6677.30	17295.78	133334.83	76235.82	209570.65	219206.52
3.	हिमांचल प्रदेश *	1621.52	1092.43	2713.95	2713.95	13130.29	8723.75	21854.04	21854.04
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	574.30	105.39	679.69	1051.39	2029.99	651.48	2681.47	2019.02
5.	कर्नाटक	22445.12	119.46	22564.58	21771.25	137116.88	2943.99	140060.87	136590.89
6.	केरल	39840.93	155454.98	195295.91	153696.82	77565.44	335777.11	413342.55	326474.36
7.	पाण्डिचेरी	0.00	1642.40	1642.40	1658.86	10.67	1895.44	1906.11	1931.72
8.	पंजाब	39229.57	10882.13	50111.70	43164.36	132706.90	92643.88	225350.78	218753.71
9.	राजस्थान *	17313.48	6451.94	23765.42	23765.42	98166.61	29797.41	127964.02	127964.02
10.	तमिल नाडु	प्र.न.	प्र.न.	82804.95	64678.76	16.92	58031.29	58048.21	70308.29
11.	त्रिपुरा	21.28	86.60	107.88	641.70	511.39	2068.01	2579.40	3034.79
12.	उत्तर प्रदेश	32113.69	8539.37	40653.06	5581.26	प्र.न.	प्र.न.	281493.84	305709.53
13.	पश्चिम बंगाल	4201.90	1075.62	5277.52	16053.18	72994.15	29517.02	102511.17	106045.79
<b>योग (1 से 13 तक)</b>		<b>176519.17</b>	<b>190521.07</b>	<b>449845.19</b>	<b>371081.54</b>	<b>722738.83</b>	<b>641378.19</b>	<b>1645610.86</b>	<b>1597882.04</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>									
1.	असम *	0.00	18.57	18.57	18.57	491.25	350.87	842.12	842.12
2.	बिहार *	0.00	4.05	4.05	4.05	3912.33	1787.81	5700.14	5700.14
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	2.11	13667.86	346.15	14014.01	14688.88
4.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	96415.29	9176.60	105591.89	108178.61
5.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.
6.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.न.	प्र.न.	10637.28	10637.28
<b>योग (1 से 6 तक)</b>		<b>0.00</b>	<b>22.62</b>	<b>22.62</b>	<b>24.73</b>	<b>114486.73</b>	<b>11661.43</b>	<b>136785.44</b>	<b>140047.03</b>

नोट 1 - प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं

2 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करने समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



५४ वीं  
वार्षिक रिपोर्ट  
२०१३ - १४

तालिका ५ - लाभ / हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2014 को स्थिति	31.03.2012 को स्थिति
1	2	3	4
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>			
1.	गुजरात	2349.97	3751.59
2.	हरियाणा	(5904.93)	(2291.56)
3.	हिमांचल प्रदेश *	39.00	39.00
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	(4318.26)	(3943.58)
5.	कर्नाटक	9.35	7.04
6.	केरल	2114.98	2065.32
7.	पाण्डिचेरी	(74.55)	(21.06)
8.	पंजाब	2877.85	2877.85
9.	राजस्थान *	296.80	296.80
10.	तमिल नाडु *	229.20	229.20
11.	त्रिपुरा	(1643.59)	(1626.92)
12.	उत्तर प्रदेश	1811.47	8179.34
13.	पश्चिम बंगाल	(2420.75)	5.86
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>			
1.	असम *	(281.95)	(281.95)
2.	छत्तीसगढ़	(3610.03)	(2843.91)
3.	मध्य प्रदेश *	(13987.82)	(13987.82)
4.	महाराष्ट्र *	(91223.56)	(91223.56)
5.	उड़ीसा *	(13484.28)	(13484.28)

नोट 1 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

2 - कोष्ठक में अंकित राशियां हानि इंगित करती है।

## तालिका ६ - गैर निष्पादित आस्तियां ( एन. पी. ए. )

( ₹ लाख में )

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31 मार्च 2014 को एनपीए की स्थिति			31 मार्च 2013 को एनपीए की स्थिति		
		कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %	कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>							
1.	गुजरात	58247.75	25317.14	43.46	57989.36	23271.16	40.13
2.	हरियाणा	210219.92	97962.47	46.60	220136.36	64887.74	29.48
3.	हिमाचल प्रदेश *	22793.11	10961.56	48.09	22793.11	10961.56	48.09
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	2681.47	265.13	9.89	2019.02	276.28	13.68
5.	कर्नाटक	140060.87	37103.40	26.49	136590.89	36865.91	26.99
6.	केरल	413342.12	13041.86	3.16	326474.36	11203.67	3.43
7.	पाण्डिचेरी	1906.11	84.46	4.43	1931.72	77.56	4.02
8.	पंजाब	224014.59	4580.50	2.04	218753.71	7574.22	3.46
9.	राजस्थान *	141035.79	54122.66	38.38	141035.79	54122.66	38.38
10.	तमिल नाडु *	151934.53	15669.61	10.31	151934.53	15669.61	10.31
11.	त्रिपुरा	2579.41	1307.74	50.70	3034.79	1138.99	37.53
12.	उत्तर प्रदेश	2458.03	1138.08	46.30	2646.87	2024.19	76.47
13.	पश्चिम बंगाल	102511.17	27557.82	26.88	106045.79	19962.44	18.82
<b>योग ( 1 से 13 तक )</b>		<b>1473784.87</b>	<b>289112.43</b>	<b>19.62</b>	<b>1391386.30</b>	<b>248035.99</b>	<b>17.83</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>							
1.	असम *	842.12	822.11	97.62	842.12	822.11	97.62
2.	बिहार *	5700.14	5662.76	99.34	5700.14	5662.76	99.34
3.	छत्तीसगढ़	14014.00	9912.54	70.73	14688.88	9736.71	66.29
4.	मध्य प्रदेश *	108178.61	84242.70	77.87	108178.61	84242.70	77.87
5.	महाराष्ट्र *	115456.94	113552.96	98.35	115456.94	113552.96	98.35
6.	उड़ीसा *	10637.28	10530.91	99.00	10637.28	10530.91	99.00
<b>योग ( 1 से 6 तक )</b>		<b>254829.09</b>	<b>224723.98</b>	<b>88.19</b>	<b>255503.97</b>	<b>224548.15</b>	<b>87.88</b>

नोट - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



## तालिका 7 - वसूली उपलब्धि

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीआरडी बैंक का नाम	अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर									
		30.06.2013 की स्थिति					30.06.2012 की स्थिति				
		मांग	संग्रहण (वसूली)	अवशेष	मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत	मांग	संग्रहण (वसूली)	अवशेष	मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>											
1.	गुजरात	51356.52	23224.73	28131.79	45.22	55685.93	26340.17	29345.76	47.30		
2.	हरियाणा	159585.74	42484.53	117101.21	26.62	167012.93	64489.39	102523.54	38.61		
3.	हिमाचल प्रदेश	13490.49	6394.28	7096.21	47.40	13485.76	6859.12	6626.64	50.86		
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर #	1255.48	458.11	797.37	34.09	1240.13	476.56	763.57	38.43		
5.	कर्नाटक	59920.84	30715.30	29205.54	51.26	56022.62	30360.70	25661.92	54.19		
6.	केरल	129133.54	93780.55	35352.99	72.62	108642.78	78424.77	30218.01	72.19		
7.	पाण्डिचेरी	1857.56	1773.31	84.25	95.46	1557.17	1493.18	63.99	95.89		
8.	पंजाब	120179.73	76395.90	43783.83	63.57	118894.90	73300.78	45594.12	61.65		
9.	राजस्थान	115303.32	43901.10	71402.22	38.07	108461.02	43494.64	64966.38	40.10		
10.	तमिलनाडु	27673.43	13856.72	13816.71	50.07	16397.49	2496.88	13900.61	15.23		
11.	त्रिपुरा	1600.23	900.76	699.47	56.29	1230.00	893.01	336.99	72.60		
12.	उत्तर प्रदेश	304953.56	129527.05	175426.51	42.47	228980.07	39592.64	189387.43	17.29		
13.	पश्चिम बंगाल	44680.70	26822.18	17858.52	60.03	42271.15	24251.03	18020.12	57.37		
<b>योग ( 1 से 13 तक )</b>		<b>1030991.14</b>	<b>490234.52</b>	<b>540756.62</b>	<b>47.55</b>	<b>919881.95</b>	<b>392472.87</b>	<b>527409.08</b>	<b>42.67</b>		
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>											
1.	असम	538.58	32.00	506.58	5.94	586.11	41.71	544.40	7.12		
2.	बिहार	34747.57	2226.84	32520.73	6.41	34761.69	3615.31	31146.38	10.40		
3.	छत्तीसगढ़	10013.26	3306.17	6707.09	33.02	9907.19	4176.56	5730.63	42.16		
4.	मध्य प्रदेश	90197.20	8878.16	81319.04	9.84	82874.08	14509.86	68364.22	17.51		
5.	महाराष्ट्र	58620.84	9902.73	48718.11	16.89	58620.84	9902.73	48718.11	16.89		
6.	उड़ीसा	2400.07	20.14	2379.93	0.84	2241.15	126.74	2114.41	5.66		
<b>योग ( 1 से 6 तक )</b>		<b>196517.52</b>	<b>24366.04</b>	<b>172151.48</b>	<b>12.40</b>	<b>188991.06</b>	<b>32372.91</b>	<b>156618.15</b>	<b>17.13</b>		

नोट 1 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

2 - वर्ष 2012-13 के संग्रह में ओटीएस व आईआरपी के अन्तर्गत ब्याज की छूट सम्मिलित है।

### तालिका 8 - सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	शाखायें (एकात्मक/मिश्रित संरचना)		पीसीएआरडी बैंक (संघीय/मिश्रित संरचना)		पीसीएआरडी बैंकों की शाखायें (संघीय ढांचा)		कुल सदस्यता (ऋणी/अऋणी)	
		31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>									
1.	गुजरात	181	181	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	673488	675723
2.	हरियाणा	0	0	19	19	76	76	737978	742883
3.	हिमांचल प्रदेश *	33	33	1	1	16	16	77404	77404
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	45	45	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	94389	93981
5.	कर्नाटक	23	23	177	177	0	0	1091412	1091412
6.	केरल	14	14	63	63	159	159	1256894	1256894
7.	पाण्डिचेरी	1	1	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	16951	16492
8.	पंजाब	0	0	89	89	0	0	848248	849928
9.	राजस्थान *	7	7	36	36	131	131	1196548	1196548
10.	तमिल नाडु	18	18	180	180	ला.न.	0	2159065	2159065
11.	त्रिपुरा	5	5	0	0	0	0	22796	23567
12.	उत्तर प्रदेश *	323	323	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	2776085	2776085
13.	पश्चिम बंगाल *	2	2	24	24	84	84	204360	204360
	<b>योग ( 1 से 13 तक )</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>11155618</b>	<b>11164342</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>									
1.	असम *	28	28	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	40972	40972
2.	बिहार *	131	131	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	702362	702362
3.	छत्तीसगढ़ *	0	0	12	12	76	76	213172	213172
4.	मध्य प्रदेश	7	7	38	38	262	262	127289	127289
5.	महाराष्ट्र	0	0	29	29	187	187	प्र.न.	प्र.न.
6.	उड़ीसा *	5	5	46	46	0	0	47	47
	<b>योग (1 से 6 तक)</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>1083842</b>	<b>1083842</b>

नोट :- 1 - प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं

2 - ला.न. का तात्पर्य लागू नहीं।

3 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

### तालिका 8 - सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	ऋणी सदस्य		निर्वाचित बोर्ड ( हाँ / नहीं )		निर्वाचित बोर्ड युक्त पीसीएआरडी बैंक		एससीएआरडी बैंकों में कर्मचारी		पीसीएआरडी बैंकों में कर्मचारी	
		31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>अ) पूरी तरह से कार्यात्मक</b>											
1.	गुजरात	673488	675723	हाँ	हाँ	ला.न.	ला.न.	406	430	ला.न.	ला.न.
2.	हरियाणा	217247	256204	हाँ	हाँ	19	19	93	121	1139	1187
3.	हिमांचल प्रदेश *	43610	43610	हाँ	हाँ	1	1	119	119	61	61
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	75381	74973	नहीं	नहीं	ला.न.	ला.न.	148	155	ला.न.	ला.न.
5.	कर्नाटक	664326	664326	हाँ	हाँ	175	175	333	372	861	954
6.	केरल	827032	827032	हाँ	हाँ	63	62	288	310	1120	1120
7.	पाण्डिचेरी	4262	4209	नहीं	नहीं	ला.न.	ला.न.	32	33	ला.न.	ला.न.
8.	पंजाब	174616	201263	हाँ	हाँ	76	78	295	338	599	898
9.	राजस्थान *	766038	766038	हाँ	हाँ	ला.न.	ला.न.	124	124	575	575
10.	तमिल नाडु	387301	387301	हाँ	नहीं	180	0	130	140	590	590
11.	त्रिपुरा	4087	4858	हाँ	हाँ	0	0	42	43	ला.न.	ला.न.
12.	उत्तर प्रदेश *	2534568	2534568	हाँ	हाँ	ला.न.	ला.न.	2560	2672	ला.न.	ला.न.
13.	पश्चिम बंगाल *	144054	144054	नहीं	हाँ	प्र.न.	प्र.न.	109	124	564	564
<b>योग ( 1 से 13 तक )</b>		<b>6516010</b>	<b>6584159</b>	.	.	<b>514</b>	<b>335</b>	<b>4679</b>	<b>4981</b>	<b>5509</b>	<b>5949</b>
<b>ब) पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं</b>											
1.	असम *	3379	3379	हाँ	हाँ	ला.न.	ला.न.	प्र.न.	प्र.न.	ला.न.	ला.न.
2.	बिहार *	214790	214790	हाँ	हाँ	ला.न.	ला.न.	662	662	ला.न.	ला.न.
3.	छत्तीसगढ़ *	50922	50922	नहीं	हाँ	0	12	36	38	315	315
4.	मध्य प्रदेश	127289	127289	नहीं	नहीं	34	34	249	271	1585	1585
5.	महाराष्ट्र	ला.न.	ला.न.	नहीं	नहीं	ला.न.	1	115	115	1176	1176
6.	उड़ीसा *	46	46	नहीं	नहीं	0	0	72	72	77	77
<b>योग ( 1 से 6 तक )</b>		<b>396426</b>	<b>396426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>1134</b>	<b>1158</b>	<b>3153</b>	<b>3153</b>

नोट :- 1 - प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं

2 - ला.न. का तात्पर्य लागू नहीं।

3 - \* 31.03.2013 की स्थिति को 2013-14 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।







## LIST OF MEMBERS

(As on 31<sup>st</sup> March 2014)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

## सदस्यों की सूची

(31 मार्च 2014 को)

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।
2. असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी।
3. बहु राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, (बिहार-झारखण्ड), पटना।
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।
5. गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद।
6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला।
7. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर।
9. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बंगलौर।
10. केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, थिरुअनन्तपुरम।
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल।
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित, मुंबई।
13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर।
14. पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, पाण्डिचेरी।
15. पंजाब राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़।
16. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर।
17. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई।
18. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला।
19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ।
20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता।
21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली।
22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी।
23. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित, शिलांग।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL  
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वी मंझिल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,  
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३  
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६  
(एम.डी) : २७८१ ४११४  
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५  
ई-मेल : [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com)  
वेबसाईट : [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,  
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703  
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226  
(M.D.): 022 - 27814224  
Fax: 91-22-27814225  
E-mail: [nafcard.org@gmail.com](mailto:nafcard.org@gmail.com)  
Website: [www.nafcard.org](http://www.nafcard.org)